



न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	4
अध्यक्ष का भाषण	5
मूल्यां, दूरदर्शिता एवं ध्येय की आपूर्ति	6
कॉर्पोरेट सूचना	7
निदेशक रिपोर्ट	9
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	20
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	23
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा प्रमाणन	29
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा	30
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों की वार्षिक रिपोर्ट	31
कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र	35
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	36
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	47
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	48
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण	50
इक्विटी परिवर्तन विवरण	51
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण	53
वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां	55

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल के सदस्य कम्पनी के व्यवसाय एवं परिचालनों का प्रबंधन करते हैं। निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 2 कार्यात्मक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित 3 निदेशक शामिल हैं।

कार्यात्मक निदेशक



श्री राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री ए. अरुणाचलम
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

सरकार द्वारा नामित निदेशक



डा. एम.सुब्रमण्यम



श्रीमती उमा शेखर



डा. नीरज सिन्हा

अध्यक्ष का भाषण

मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2022-23 के दौरान सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में कम्पनी का निष्पादन बहुत उत्तम रहा है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 467.03 करोड़ रुपये के निवल लाभ के साथ 2940.42 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया है।

व्यावसायिक पक्ष में हासिल कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में डीटीएच ग्राहकों के लिए जीसैट-24 संचार उपग्रह को चालू किया जाना; एनसिल के प्रथम मांग प्रेरित मिशन; दो समर्पित एलवीएम-3 रॉकेटों पर 72 वनवेब उपग्रहों का प्रक्षेपण; एसएसएलवी-डी2 पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उपग्रह का प्रक्षेपण; सिंगापुर के लिए समर्पित पीएसएलवी प्रक्षेपण सेवाएं; 30 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाना जिसमें आईएमएस-1 छोटी उपग्रह बस का अंतरण किया जाना शामिल है; उपग्रह आधारित सेवाओं के क्षेत्र में, एनसिल के 11 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रह पर उपलब्ध क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं के साथ अनेक सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, मत्स्य विभाग द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत एनसिल को वेसल कम्युनिकेशन एवं सपोर्ट सिस्टम के लिए एनसिल को 9 तटीय राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों में देखरेख, नियंत्रण और निगरानी के लिए मेरिन फिशिंग वैसल्स में वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (वीसीएसएस) के लिए 1 लाख मोबाइल उपग्रह सर्विस (एमएसएस) टर्मिनल स्थापित करने तथा उसे कमीशनिंग करने का अनुबंध दिया गया है।



कॉर्पोरेट शासन के दायित्व की पूर्ति के लिए, कम्पनी द्वारा उत्तम कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों का अनुसरण किया गया है। अंगीकार किए गए उत्तम व्यवहारों के आधार पर कम्पनी को कॉर्पोरेट शासन में 'उत्कृष्ट' आंका गया है।

कम्पनी सदैव ही समाज के प्रति सजग अंतःकरण के साथ अपने कार्यों का संपादन कर रही है जिसे हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक पहलों में स्पष्ट देखा जा सकता है। हाल ही के हमारे सीएसआर प्रयासों में स्वास्थ्य एवं पोषण ध्यान का प्रमुख केन्द्र रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई कुल 21 सीएसआर परियोजनाओं में से, तेरह परियोजनाएं स्वास्थ्य और पोषण के विकास के लिए प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा, गुजरात के आंकाक्षी जिले नर्मदा में, कम्पनी द्वारा साइंस पार्क के निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए हैं।

मुझे आपको यह अवगत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एनसिल को आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन प्रदान कर दिया गया है।

स्टार्ट-अप और निजी कंपनियों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दोनों, व्यवसायों में अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित करने, समर्थन एवं अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार की पहल को देखते हुए कम्पनी को अपना भविष्य उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है।

वैश्विक अंतरिक्ष मांग के प्रति हमारी आशाएं बनी हुई हैं तथा हम अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

धन्यवाद,

शुभकामनाओं सहित,

राधाकृष्णन डी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: बेंगलुरु

नोट: यह चौथी वार्षिक आम सभा की प्रक्रिया को रिकार्डबद्ध करने के उद्देश्य से नहीं है।

दूरदर्शिता

“वैश्विक ग्राहकों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों एवं सेवाओं को मुहैया कराने में उत्कृष्ट बनना तथा प्रौद्योगिकी रूप से चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का उत्तरदायित्व संभालने में भारतीय उद्योग की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना”

मिशन

“प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण आधार को बढ़ाने हेतु भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना, विभिन्न स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं हेतु उदीयमान वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार, उपग्रह सेवाओं की पूर्ति करना तथा अंतरिक्ष अंतरापृष्ठ के माध्यम से मानव जाति की भलाई हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उप-उत्पादों को सक्षम बनाना”

कॉर्पोरेट सूचना

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

निदेशक मंडल

- श्री राधाकृष्णन डी., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.08.2021 से)
- श्री अरुणाचलम ए., निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) (01.08.2021 से)
- डा. नीरज सिन्हा, वरिष्ठ परामर्शदाता एवं प्रमुख, नीति आयोग (26.11.2021 से)
- श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (विधि एवं संधि), विदेश मंत्रालय (16.12.2021 से)
- डा. सुब्रमण्यम एम., संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अंतरिक्ष विभाग (17.03.2022 से)

प्रबंधन टीम

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - श्री राधाकृष्णन डी., (01.08.2021 से)
- निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) - श्री अरुणाचलम ए., (01.08.2021 से)
- कम्पनी सचिव - श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया (10.03.2023 से)
- श्रीमती रेणु के (16.04.2021 से 31.08.2022)

निदेशक मंडल की समितियां

लेखापरीक्षा समिति

- डा. सुब्रमण्यम एम. - अध्यक्ष
- श्रीमती उमा शेखर - सदस्य
- डा. नीरज सिन्हा - सदस्य
- श्री अरुणाचलम ए - सदस्य

पारिश्रमिक समिति

- श्रीमती उमा शेखर - अध्यक्ष
- डा. नीरज सिन्हा - सदस्य
- डा. सुब्रमण्यम एम. - सदस्य

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीय विकास समिति

- डा. नीरज सिन्हा - अध्यक्ष
- श्रीमती उमा शेखर - सदस्य
- डा. सुब्रमण्यम एम. - सदस्य
- श्री अरुणाचलम ए - सदस्य

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
डालर कालोनी शाखा
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलुरु-560 054

आईसीआईसीआई बैंक
एट्थ मेन
मल्लेश्वरम
बेंगलुरु-560 055

पंजीकृत कार्यालय

कमरा सं. एफ.01,
एच.एस.एफ.सी. भवन
इसरो मु.,
न्यू बी.ई.एल. रोड,
बेंगलुरु-560 094

लेखापरीक्षक

मेसर्स पाल एंड षणभोगे
सनदी लेखाकार
24, चौथा मेन रोड, मल्लेश्वरम
बेंगलुरु-560 003

अधिवक्ता एवं प्रतिवक्ता

मेसर्स किंग स्टब एवं कसिवा
शाखा कार्यालय
1ए, लाविल्ले मेशन
1/2 लाविल्ले रोड,
बेंगलुरु-560 001

कॉर्पोरेट कार्यालय

इसरो मु. कैंपस,
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलुरु-560 094

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों की आपके सम्मुख प्रस्तुति करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है।

प्रमुख आकर्षण

कम्पनी के लिए व्यवसाय एवं राजस्व के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2022-23 एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। है। वर्ष 2022-23 के दौरान एनसिल की व्यावसायिक उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- प्रथम मांग प्रेरित संचार उपग्रह मिशन (जीएसएटी-24) का संपादन
- सेवा बाजार में वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए इसरो के हेवी लिफ्ट लॉन्चर जीएसएलवी-एमके III [एलवीएम-3] का सफल प्रवेश
- दो एलवीएम-3 रॉकेट पर 72 वनवेब उपग्रहों का प्रक्षेपण।
- सिंगापुर उपग्रह ग्राहक के लिए समर्पित पीएसएलवी लॉन्च सेवाएं।
- एसएसएलवी-डी2 उड़ान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उपग्रह (लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन की दूसरी विकास उड़ान)
- भारतीय उद्योग के माध्यम से 5 पीएसएलवी के आद्योपांत उत्पादन के लिए एचएएल तथा एलएंडटी कंसोर्टिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर
- संचार उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारतीय थल सेना के साथ अनुबंध
- मत्स्य विभाग के साथ 1,00,000 वैसल्स कम्युनिकेशन के संस्थापन एवं सामुद्रिक मत्स्य जहाजों की सहायता के लिए अनुबंध - राष्ट्रीय रोलआउट योजना
- एनसिल के इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 150 से अधिक अनुबंधों के माध्यम से उपग्रह आधारित सेवाएं
- आईएमएस-1 लघु उपग्रह बस सहित इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को उद्योग में अंतरित करने के लिए 30 प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर

व्यवसाय की समीक्षा


भारत सरकार की 'अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का दोहन' की पहल के अंतर्गत किए जा रहे अंतरिक्ष सुधार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत कम्पनी के जनादेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा कम्पनी को "मांग चालित" के आधार माडल के अनुरूप अंतरिक्ष-आधारित मिशन प्रारंभ करने के उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

अंतरिक्ष सुधारों के पश्चात, अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के वहन में एनसिल की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों का विवरण निम्नलिखित है:

गतिविधि	विवरण
उपग्रहों का स्वामित्व	• पृथ्वी प्रेक्षण तथा संचार उपयोज्यताओं के उद्देश्य एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के लिए उपग्रहों का स्वामित्व
उपग्रहों का निर्माण तथा उन्हें प्रक्षेपण करना	• ग्राहक मांग के आधार पर उपग्रहों का निर्माण करना एवं उन्हें प्रक्षेपण करना
प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना	• ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना
प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण	• भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण
अंतरिक्ष आधारित सेवाएं	• वाणिज्यिक आधार पर पृथ्वी प्रेक्षण एवं संचार उपग्रहों से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना
प्रौद्योगिकी अंतरण	• इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का अंतरण भारतीय उद्योग साझेदारों को करना

व्यवसाय वर्टिकल्स

मंत्रिमंडल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार व्यवसाय आधारित आवश्यकताओं तथा एनसिल के संवर्धित जनादेश की पूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा निम्नानुसार छह व्यवसाय वर्टिकल्स का निर्माण किया गया है:



मांग चालित मॉडल पर उपग्रहों का स्वामित्व तथा परिचालन


- इस उद्देश्य के लिए एनसिल द्वारा डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीएसएटी-24 नामक अपना प्रथम मांग चालित संचार उपग्रह मिशन प्रारंभ किया गया है। इस उपग्रह का निर्माण एनसिल ने इसरो द्वारा सम्पन्न करवाया है। यह उपग्रह जून 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। जीएसएटी-24 उपग्रह वर्तमान में अपने निर्धारित स्लॉट 83degE पर स्थित है। सम्पूर्ण उपग्रह क्षमता मैसर्स टाटा प्ले को उनकी डीटीएच आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पट्टे पर दी गई है। मिशन के लिए संपूर्ण निधियन एनसिल द्वारा किया गया है।
- एनसिल एचटीएस उपग्रह जीएसएटी-20 तथा एस-बैंड संचार उपग्रह जीसेट-एन3 के साथ अपने दूसरे और तीसरे मांग चालित उपग्रह मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारतीय उद्योग के माध्यम से आद्योपांत प्रक्षेपण वाहन का निर्माण

- सौंपे गए दायित्व की पूर्ति के लिए एनसिल द्वारा 5 पीएसएलवी के निर्माण के लिए मैसर्स एचएएल [मैसर्स एचएएल और एल एंड टी कंसोर्टिया के प्रमुख भागीदार] के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्णतः भारतीय उद्योग निर्मित प्रथम पीएसएलवी वर्ष 2024 तक सौंप दिया जाएगा तथा शेष वाहन प्रत्येक छह माह के अंतराल पर सौंपा जाएगा।

इसरो के लॉन्च वाहन पर ग्राहक उपग्रहों के लिए आनबोर्ड प्रक्षेपण सेवाएं

- अब तक एनसिल द्वारा पीएसएलवी पर 62 अंतर्राष्ट्रीय और 2 भारतीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसमें आनबोर्ड पीएसएलवी 4 समर्पित ग्राहक उपग्रह मिशन का सफल संपादन शामिल है।
- वर्ष के दौरान, एनसिल ने निम्नलिखित उपग्रह का राइड-शेयर के रूप में प्रक्षेपण किया है:
 - क. 7 सह-यात्री ग्राहक उपग्रह - ध्रुव अंतरिक्ष, भारत के थाइबोल्ट-1 और थाइबोल्ट-2; पिक्सेल इनकॉर्पोरेशन, यूएसए का आनंद उपग्रह; तथा वाणिज्यिक व्यवस्था के अंतर्गत एस्ट्रोकास्ट, स्विटजरलैंड के 4 उपग्रह - नवंबर 2022 के दौरान पीएसएलवी-सी54 पर आनबोर्ड
 - ख. फरवरी 2023 के दौरान एसएसएलवी-डी2 पर एक ग्राहक उपग्रह यथा एंटारिस इंक. का जानूस-1, यूएसए



- एनसिल के पास वर्ष 2023 तथा 2024 में ग्राहक उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए 3 हस्ताक्षरित समर्पित पीएसएलवी प्रक्षेपण सेवा अनुबंध हैं

- एनसिल द्वारा मेसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड (एम/एस वनवेब), यूनाइटेड किंगडम के लिए दो एलवीएम3 वाहनों पर 72 वनवेब लियो ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। यह एनसिल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि इसके साथ ही **जीएसएलवी एमके।। (एलवीएम3) ने वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में अपनी प्रविष्टि दर्ज की है।**



- पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) के लिए अवसर

क. एनसिल द्वारा उद्योग प्रतिभागियों को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) के माध्यम से पेलोड प्रक्षेपित करने की प्रौद्योगिकी प्रस्तुतियों के लिए तथा कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

ख. पीएसएलवी सी53 मिशन:

- मैसर्स ध्रुव स्पेस: ध्रुव स्पेस ऑर्बिट डिप्लायर 1यू (डीएसओडी 1यू)
- मैसर्स दिगांत्रा: आरओबीआई (रोबस्ट इंटीग्रेटिंग प्रोटोन फ्लुयेंस मीटर)

ग. पीएसएलवी - सी55 मिशन

- मैसर्स ध्रुव स्पेस: 3 पेलोड यथा ध्रुव स्पेस ऑर्बिटल डिप्लॉयर 3यू, ध्रुव स्पेस ऑर्बिटल डिप्लॉयर 6यू एवं ध्रुव स्पेस ऑर्बिटल लिंक
- मैसर्स बेलेट्रिक्स: एआरकेए 200 हॉल इफ़ेक्ट थ्रस्टर
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान: स्टारबेरी सेंसर



उपग्रह निर्माण

- एनसिल अपनी सैटकॉम सेवाओं के अंतर्गत डीटीएच, वीसैट, टीवी, डीएसएनजी जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सी बैंड ऑन-बोर्ड इनसैट/जीसैट उपग्रह पर सी, कू और सी एक्सटेंशन में ट्रांसपॉंडर का प्रावधान कर रहा है। इसके अलावा, एनसिल बैक-टू-बैक व्यवस्था के आधार पर विदेशी उपग्रहों से भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रांसपॉंडर क्षमता का भी प्रावधान कर रहा है।
- जुलाई 2022 के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार द्वारा 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रह यथा जीएसएटी-8, जीएसएटी-10, जीएसएटी-12आर, जीएसएटी-14, जीएसएटी-15, जीएसएटी-16, जीएसएटी-17, जीएसएटी-18, जीएसएटी-30 तथा जीएसएटी-31 का अंतरण 1 अप्रैल, 2021 से एनसिल को किए जाने का अनुमोदन दिया गया था। इस अंतरण से, एनसिल को इन 10 उपग्रहों की प्राप्ति हुई है तथा यह सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के ग्राहकों को 150+ अनुबंधों / समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत डीटीएच, वीएसएटी, टीवी, डीएसएनजी आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- एनसिल द्वारा सरकारी/निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन-बोर्ड जीसैट-11, जीसैट-19 तथा जीसैट-29 उपग्रह पर एचटीएस क्षमता का वाणिज्यिककरण भी किया जा रहा है।

मिशन सहायता

- अब तक, एनसिल द्वारा मिशन समर्थन सेवाओं के अंतर्गत भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को तेरह (13) प्रक्षेपण वाहन ट्रेकिंग सहायता तथा तीन (3) प्रक्षेपण एवं अर्ली ओर्बिट फेस (एलईओपी) सहायता प्रदान की गई है।
- दिसंबर 2022 में एनसिल ने एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक को प्रक्षेपण वाहन ट्रेकिंग सहायता प्रदान की है।
- एनसिल द्वारा तीसरे वर्ष भी एमाजोनिया-1 मिशन के लिए टीटीसी सहायता प्रदान की जा रही है।

- एनसिल ने वर्ष 2023 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ग्राहकों के लिए डीप स्पेस मिशन सपोर्ट तथा मिशन सहायता सेवा कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करने के लिए 4 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रौद्योगिकी अंतरण तथा स्पिन-ऑफ़

- आज तक, एनसिल ने इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को उद्योग में अंतरित करने के लिए 30 प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण के क्षेत्र में, एनसिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय उद्योग को आईएमएस-1 लघु उपग्रह बस प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाना है।

वित्तीय सारांश/प्रमुख आकर्षण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कम्पनी की हासिल टर्नओवर 2,84,226.44 लाख रुपए तथा कर पश्चात लाभ 46,702.67 लाख रुपये है। प्रमुख जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

(रुपए लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए
घरेलू टर्नओवर	1,67,698.97	148,841.48
निर्यात टर्नओवर	1,16,527.47	18,635.36
योग टर्नओवर	2,84,226.44	1,67,476.84
अन्य आय	9,816.07	5,707.60
योग राजस्व	2,94,042.51	1,73,184.44
योग व्यय	2,31,466.07	1,27,269.32
कर पूर्व लाभ / (हानि)	62,576.44	45,915.12
आय कर	15,873.77	11,616.50
कर पश्चात लाभ / (हानि)	46,702.67	34,298.62
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	छूट प्राप्ति के प्रस्ताव	
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	शून्य	शून्य

लाभांश

आगामी वर्षों में प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्ति प्रस्तावित है।

आरक्षित निधियां

विचाराधीन वर्ष के दौरान, सामान्य रिजर्व निधि में कोई राशि अंतरित की जानी प्रस्तावित नहीं है।

राजकोष में अंशदान

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शुल्क और कर के रूप में 23,405 लाख रुपए का अंशदान किया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा रिपोर्ट किए जाने की तिथि के मध्य वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य की अवधि में कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई सामग्रीगत परिवर्तन नहीं हुए हैं।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम अथवा सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

जमा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

ऋण, गारंटी तथा निवेश

वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी में कम्पनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसम्पतियों की सुरक्षा, जालसाजियों तथा त्रुटियों से बचाव, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना के निर्माण सहित अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करने तथा कुशल परिचालन के सुनिश्चय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित है।

कम्पनी द्वारा प्रणालियों एवं नियंत्रणों की पर्याप्तता के सुनिश्चय के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स विघनेश सीएन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

शेयर पूंजी

विचाराधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा एनसिल को 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रह परिसंपत्तियों के लिए किए गए अंतरण के प्रति इक्विटी शेयरों के समायोजन के लिए, कम्पनी की अधिकृत 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक प्रत्येक के 750,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित पूंजी 1000,00,00,000/- रुपये से (एक हजार करोड़ रुपये केवल) से बढ़ाकर 7500,00,00,000/- रुपये (केवल सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की गई है।

भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में, कम्पनी ने मौजूदा शेयरधारकों को राइट इश्यू आधार पर 4,69,76,000 शेयर आवंटित किए हैं।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल जारी एवं प्रदत्त पूंजी 5607,60,00,000/- रुपये (केवल पांच हजार छह सौ सात करोड़ साठ लाख रुपये) थी, जो 10/- रुपये मूल्य प्रत्येक के 560,76,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। भारत सरकार की शेयरधारिता 100% है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

कम्पनी द्वारा भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के मूल्यांकन का अंतिम निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

इस रिपोर्ट की प्रकाशित तिथि के अनुसार, एनसिल को आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त है।

आउटसोर्सिंग

कम्पनी द्वारा अपनी अपेक्षाओं तथा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर भारतीय उद्योग में बाह्यस्रोतण किया जाता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईएस) से प्रापण

कम्पनी मुख्यतः अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं के व्यवसाय तथा इसके परियोजना प्रबंधन कार्य करती है। इसका सीमित कार्यक्षेत्र के दायरे में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) से माल एवं सेवाओं का प्रापण करने के प्रयास किए जाते हैं।

कम्पनी ने निविदा में भाग लेने के लिए एमएसई की पात्रता का उल्लेख करके निविदाओं में आवश्यक प्रावधान किए हैं। कम्पनी ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई समाधान तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर पंजीकरण किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण किए गए उत्पादों और सेवाओं की खरीद 41.45% है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास (सीएसआर एवं एसडी)

कम्पनी द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग ध्यान दिया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 494.20 लाख रुपए की राशि का व्यय किया है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन सहित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट <https://www.nsilindia.co.in/csr> में दिया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

कम्पनी, अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है। कम्पनी के कार्यबल में इसरो से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनके वेतन व्यय का पुनर्भुगतान वास्तविक के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए थे।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-18 और आईएनडी एएस-24 के अनुसार संबंधित पक्ष संव्यवहार का प्रकटीकरण कर दिया गया है तथा यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 34 तथा 40 में दिया गया है।

मानव संसाधन विकास

कम्पनी का प्रबंधन कार्य व्यवस्था के आधार पर अंतरिक्ष विभाग / इसरो से प्रतिनियुक्त अधिकारियों तथा वेतन सूची में प्रत्यक्ष भर्ती किए गए अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी की वेतन सूची में 4 महिला अधिकारी सहित 10 कर्मचारी थे। आरक्षण से संबंधित भारत सरकार दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

कर्मचारियों का विवरण तथा संबंधित प्रकटीकरण

यह कम्पनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है, अंतः अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान तथा संबंधित नियम इसके संबंध में लागू नहीं हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष तथा निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए अंतरिक्ष विभाग द (प्रशासनिक मंत्रालय) स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जिसमें कम्पनी के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तथा कोई भी मामला लंबित नहीं है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

सभी दिव्यांगजन कर्मचारियों को समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भर्ती के दौरान दिव्यांगजनों को भत्ते और अन्य छूट प्रदान की जाती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम

कम्पनी में सूचना अधिकारी अधिनियम ("आरटीआई अधिनियम") के अंतर्गत अनुपालन अपेक्षाओं के अनुसार पारदर्शिता एवं जवाबदेही को

बढ़ावा देने के लिए एक उचित तंत्रव्यवस्था स्थापित है। कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की अपेक्षाओं के अनुरूप, कम्पनी ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रस्तुत की है। सरकार के निर्देशों के अनुरूप, कम्पनी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन आवेदनों पर प्रक्रियाएं कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी को 21 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए थे। उक्त 21 अनुरोधों के प्रत्युत्तर में सूचना उपलब्ध करायी गई थी। पिछले वर्ष प्रस्तुत किसी भी अनुरोध को अग्रेषित अथवा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को अंतरित नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निपटान कार्रवाई के लिए कोई भी अनुरोध लंबित नहीं है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा 'हिंदी' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान अंतरिक्ष विभाग/इसरो के साथ मिलकर अपने आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं।

सतर्क तंत्रव्यवस्था

कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की गई है। इस तंत्रव्यवस्था में इसका उपयोग करने वाले कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी है, तथा इसमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की व्यवस्था भी है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। सतर्क तंत्रव्यवस्था नीति हमारी वेबसाइट www.nsilindia.co.in पर उपलब्ध है। कम्पनी में सतर्कता तंत्रव्यवस्था भी है, जिसका नेतृत्व अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे है।

जोखिम प्रबंधन

कम्पनी में उचित और निरंतर जोखिम पहचान एवं प्रबंधन प्रक्रिया के सुनिश्चय के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति व्यवस्थित है।

दिवालिया एवं ऋणशोधन संहिता

वर्ष के दौरान, दिवालिया एवं ऋणशोधन संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई प्रक्रिया नहीं की गई है तथा कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है।

न्यायिक निकायों/विनियामकों द्वारा जारी सामग्रीगत आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी की गोडंग कंसर्न स्थिति तथा इसके भावी परिचालनों को प्रभावित करने से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अथवा सामग्रीगत आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स पाल एंड षणभोगे, सनदी लेखाकार, बेंगलुरु की नियुक्ति वर्ष 2022-23 सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए कर सहित 1.65 लाख रुपए की फीस निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लेखापरीक्षक द्वारा सूचित जालसाजी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा किसी जालसाजी की सूचना नहीं दी गई है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां एवं स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई अर्हता, कारक अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

कॉर्पोरेट शासन

लोक उद्यम विभाग के ई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। मैसर्स बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, बंगलुरु द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट भी निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

मैसर्स बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स द्वारा किए गए प्रेक्षण तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ब्योरा नीचे दिया गया है:

प्रेक्षण	टिप्पणियां / स्पष्टीकरण
एक मामले में निदेशक मंडल की दो बैठकों में 4 माह से अधिक अवधि का अंतराल है।	यह अंतराल वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित अंतिम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रथम बैठक के मध्य है। यह अंतराल मुख्यतः अत्यावश्यक व्यवसाय अपेक्षाओं एवं संसाधनों की कमी के कारण से हुआ है जिसके कारण से दो बैठकों के आयोजन में देरियां हुई थी। प्रबंधन ने इसे संज्ञान में ले लिया है तथा भविष्य में ऐसा न होने का सुनिश्चय किया जाएगा।
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।	यह कम्पनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उपक्रम है, निदेशकों (कार्यात्मक निदेशकों सहित) के कार्यकाल तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से किया जाता है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा कम्पनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया की जा रही है।
सतर्क तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन नहीं किया गया है	इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कम्पनी सतर्क तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।



गांधीनगर, गुजरात में एनसिल प्रदर्शनी



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनसिल द्वारा श्री भुपेन्द्र रजनीकांत पटेल, माननीय मुख्य मंत्री, गुजरात तथा श्रीमती निर्मला सेथुरमन, माननीय वित्त मंत्री को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित प्रदर्शनी में एनसिल से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए।

निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के संबंध में कम्पनी की नीति

यह कम्पनी पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है जिसके कारण, निदेशकों की नियुक्ति सहित चयन, नियुक्त एवं नियम तथा शर्तों तथा पारिश्रमिक के मानदंड, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

वर्तमान स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 5 निदेशक हैं, जिनमें से 2 [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित] पूर्णकालिक निदेशक हैं तथा 3 सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। कम्पनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कम्पनी ने अंतरिक्ष विभाग, प्रशासनिक मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 10 जून, 2022 के आदेश के माध्यम से श्री राधाकृष्णन डी को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियमित किया गया है

निदेशक मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई थी, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में 4 (चार) सदस्य थे, जिनमें से 3 (तीन) सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 1(एक) कार्यात्मक निदेशक थे।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 04 (चार) बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार न किए जाने की कोई स्थिति नहीं है।

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) तथा कम्पनी सचिव को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, श्रीमती एस शनमुगा प्रिया ने दिनांक 10.03.2023 से कम्पनी सचिव के पद पर, कम्पनी की सेवाओं से दिनांक 31.8.2022 से त्यागपत्र दे चुकी श्रीमती रेणु के, कम्पनी सचिव के स्थान पर, कार्यभार ग्रहण किया है।

निदेशक मंडल / निदेशकों का मूल्यांकन

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, निदेशक मंडल /निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों के प्रति कानून के अंतर्गत छूट दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवचूषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क) **ऊर्जा संरक्षण:** कम्पनी द्वारा ऊर्जा गहन परिचालन नहीं किए जाते हैं।

ख) **प्रौद्योगिकी अवचूषण:** कम्पनी के परिचालन मुख्यतः कम्पनी के मूल संगठन इसरो / कम्पनी के प्रशासनिक विभाग, अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यिकरण से संबंधित हैं।

ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
विदेशी मुद्रा आय	1,19,829	25,893.86
विदेशी मुद्रा व्यय	77,427	66,713.59

निदेशक उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में, निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की गई है कि:-

- वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ, किया गया था;
- निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उनका निरंतर उपयोग किया गया था तथा ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जिनसे 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के कार्यों तथा उक्त अवधि में कम्पनी के लाभ की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती हो;
- निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण के करके पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण करने तथा उन्हें जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है;
- निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न के आधार पर किया गया है;
- निदेशकों ने कम्पनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों का निर्धारण किया है तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का निर्माण किया है जो पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

वार्षिक विवरण का वेबलिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसरण में कम्पनी के वार्षिक विवरणों की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे <https://www.nsilindia.co.in/annual-report> पर देखा जा सकता है।

लागत रिकार्ड

लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षाएं कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं तथा तदनुसार ऐसे लेखों एवं रिकार्डों का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कम्पनी के व्यवसाय परिचालनों एवं भविष्य की अभिमुखता की प्रस्तुति से युक्त प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर के विवरणों सहित कारण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

विदेश यात्रा व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश यात्रा पर पिछले वर्ष किए गए 3.98 लाख रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 19.10 लाख रुपए का व्यय हुआ है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी संस्थान द्वारा जारी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से प्राप्त समर्थन एवं प्रोत्साहन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल, अपने ग्राहकों एवं अपने उत्पादों तथा सेवाओं के उपयोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उद्योग साझेदारों और अन्य सभी व्यवसाय एसोसिएट्स से कम्पनी को निरंतर प्राप्त समर्थन एवं प्रबंधन के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता है।

आपका निदेशक मंडल, अन्य मंत्रालयों, सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों, विक्रेताओं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव, सलाहकारों, परामर्शदाताओं आदि से प्राप्त सहयोग और समर्थन के लिए अपने आभार की प्रस्तुति करता है।

कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अपनी समर्पित सेवाओं के लिए आपका निदेशक मंडल संवेदनशील है तथा कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी राधाकृष्णन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08382973

दिनांक : 18.09.2023

स्थान : बेंगलुरु

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य

अंतरिक्ष व्यवसाय के दो प्रमुख प्रवाह, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हैं; लगभग 90% राजस्व की प्राप्ति डाउनस्ट्रीम गतिविधियों से प्राप्त होती है, लेकिन अपस्ट्रीम गतिविधियों का जो 10% भाग है वही इन डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के चलन का प्रेरक कारक है। अपनी स्थापना के काल से ही एनसिल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों से संबंधित प्रक्रियाएं कर रहा है तथा इन दोनों प्रवाहों में अपने फुटप्रिंट बनाकर आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा जब जून 2020 के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार में सुधार घोषित किए गए थे, तब से देश में एक जीवंत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्रव्यवस्था का निर्माण हुआ है तथा भारत में विशेष रूप से स्टार्टअप की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये सुधार वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं तथा भारत में भी इनसे स्पष्ट परिवर्तन देखने में आए हैं। इन सुधारों से एनसिल का अधिकार क्षेत्र भी संवर्धित हुआ है।

संगठन संरचना

मार्च, 2019 में निगमित न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल), अंतरिक्ष विभाग के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम तथा इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। जून 2020 के दौरान, भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के अंतर्गत एनसिल का व्यवसाय जनादेश में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई थी। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार एनसिल ने अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यवसाय परिचालनों के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

वर्तमान में, कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक; निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति); तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। प्रशासनिक मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा कम्पनी के अनुमोदित संगम अनुच्छेद के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कम्पनी ने अपनी वेतनसूची में कुछ कर्मियों की भर्ती की है। कम्पनी के संवर्धित जनादेश को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी अपनी स्वयं की वेतनसूची में अधिक कर्मियों के साथ-साथ इसरो/अंतरिक्ष विभाग से प्रतिनियुक्त/तत्काल अवशोषण पर अधिकारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया भी कर रही है।

व्यवसाय परिचालन

निदेशक रिपोर्ट में व्यवसाय समीक्षा के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के दायरे में आने वाले कम्पनी के व्यवसाय परिचालनों का उल्लेख है।



गारवी गुजरात 2022 (8 - 10 जुलाई 2022)

एसडब्ल्यूओटी (शक्तियों, अशक्तियों, अवसरों एवं जोखिमों) का विश्लेषण

कम्पनी के लिए उद्योग परिदृश्य और साथ ही व्याप्त अवसरों एवं जोखिमों को समझकर प्रतिस्पर्धी लाभ की प्राप्ति करने तथा बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक रणनीति का निर्माण करने के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण महत्वपूर्ण है। तदनुसार, एनसिल ने एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किए हैं तथा व्यवसाय परिचालन की योजना एवं रणनीति के निर्माण के लिए इसके परिणाम पर विचार किया है।

उत्पादन-वार निष्पादन

(रुपए लाख में)

व्यवसाय सेगमेंट	निर्यात	घरेलू	योग
प्रक्षेपण सेवाएं	1,16,527.47	1,67,698.97	2,84,226.44
मिशन समर्थन सेवाएं			
अंतरिक्ष सेगमेंट संचार (ट्रांसपोंडर पट्टा)			
उत्पादों की बिक्री			
प्रौद्योगिकी अंतरण			

भविष्य के प्रति अभिमुखता

कम्पनी अपने संवर्धित जनादेश एवं संवर्धित स्वायत्तता के साथ उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व तथा परिचालन और साथ ही ग्राहकों को व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर आद्योपांत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। कम्पनी भारतीय उद्योग के माध्यम से इसरो के परिचालन प्रक्षेपण वाहनों का भी निर्माण कर रही है जिसका अंततः स्वामित्व उन्हें प्राप्त होगा। कम्पनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के लिए भारतीय उद्योग की संभावनाओं का दोहन करने की भी योजना बना रही है। कम्पनी अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का उपयोग करके अंतिम छोर संपर्कता प्रदान करने के लिए अपने फुटप्रिंट्स का विस्तार करने के लिए तैयार है।

चुनौतियों से जुझने के उपाय

कम्पनी अपने द्वारा प्रारंभ व्यावसायिक क्षेत्रों में व्याप्त जोखिमों पर नजर टिकाए हुए है तथा जोखिम न्यून करने के लिए उपाय कर रही है। कम्पनी प्रशासनिक मंत्रालय तथा अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायिक सलाहकारों/तकनीकी सलाहकारों के परामर्श से जोखिमों और चुनौतियों से जुझने के लिए उपाय कर रही है।

परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

परिचालन निष्पादन से संबंधित वित्तीय निष्पादन की प्रस्तुति निदेशक रिपोर्ट में की गई है।

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22	भिन्नता के कारण
i.	नामे टर्नओवर	3.58	2.20	अनुपात में हुई वृद्धि का कारण टर्नओवर में वृद्धि है
ii.	मालसूची टर्नओवर	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii.	ब्याज कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	
iv.	चालू अनुपात	1.88	0.52	माल/सेवाएं के लिए चुकता अग्रिम भुगतान, बैंक शेष के कारण चालू परिसम्पतियों में वृद्धि होने से अनुपात में सुधार हुआ है।
v.	नामे इक्विटी अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	
vi.	परिचालन लाभ प्रतिफल (%)	22	27	राजस्व पर प्रतिफल % में परिवर्तन के कारण
vii.	निवल लाभ प्रतिफल (%)	16	20	राजस्व पर प्रतिफल % में परिवर्तन के कारण

निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पत्ति के प्रतिफल में किसी प्रकार के परिवर्तन का विवरण तथा उससे संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 0.42 की तुलना में 0.12 था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपात में यह घटत 4,69,760 लाख रुपए के शेरर जारी किए जाने के कारण से है।

मानव संसाधन विकास

कम्पनी के परिचालनों का प्रबंधन अंतरिक्ष विभाग / इसरो से वृहद अनुभव प्राप्त एवं वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किया जाता है। कम्पनी द्वारा अपनी वेतनसूची में कार्मिकों की भर्ती की गई है तथा अंतरिक्ष विभाग / इसरो से प्रतिनियुक्ति / तत्काल समावेशन के आधार पर अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

कम्पनी की अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है तथा कम्पनी द्वारा न तो विनिर्माण कार्य किए जाते हैं तथा न ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जिससे कम्पनी के कार्यों से किसी प्रकार का पर्यावरणीय / संरक्षण मामला कारक नहीं है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

दिनांक: 18.09.2023

स्थान: बेंगलुरु

डी राधाकृष्णन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के मापदंडों पर किए गए अनुपालन का विवरण निम्नलिखित है:-

दर्शन

कॉर्पोरेट शासन की रूपरेखा तथा विचारमत की झलक कम्पनी की कॉर्पोरेट संस्कृति, नीतियों, मूल्यों और हितधारकों के साथ संबंधों में स्पष्ट देखी जा सकती है, जो किसी अवरोध के बिना पूरे संगठन में निरंतर स्पष्ट देखी जा सकती है।

कम्पनी का ऐसा मानना है कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा स्टेकधारक मूल्यों में बढ़ोतरी के लिए उत्तम कॉर्पोरेट शासन नितांत आवश्यक है। एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कम्पनी की ओर से अपने व्यवसाय के कुशल एवं आचारपूर्ण संव्यवहारों के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उत्तरदेयता पर अधिक बल दिया जाता है।

हमारा कॉर्पोरेट शासन को कम्पनी आचार एवं आचरण संहिता, कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों, नीतियों एवं समिति चार्टरों के माध्यम से बल प्राप्त हुआ है। निदेशक मंडल एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं, लेखापरीक्षाओं एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों से कॉर्पोरेट शासन की रूपरेखा के सिद्धांतों को स्पष्ट देखा जा सकता है।

निदेशक मंडल

क. संरचना

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एनसिल के निदेशक मंडल में 5 निदेशक शामिल थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो कार्यात्मक निदेशक तथा तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक थे।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, कम्पनी ने सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के सम्मुख यह मामला प्रस्तुत किया है।

ख. निदेशकों की श्रेणी तथा उनकी उपस्थिति

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना तथा अन्य निदेशक मंडलों में उनकी निदेशक पदधारिता एवं निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता, वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों, पिछली वार्षिक आम सभा में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

निदेशक का नाम निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	निदेशक मंडल की कुल बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों में निदेशक पदधारिता	अन्य समितियों में सदस्यता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान उपस्थिति			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के पद पर
कार्यात्मक निदेशक							
श्री डी. राधाकृष्णन डीआईएन: 08382973	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए अरुणाचलम डीआईएन: 09262267	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	4	4	हां	शून्य	1	शून्य

निदेशक का नाम निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	निदेशक मंडल की कुल बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों में निदेशक पदधारिता	अन्य समितियों में सदस्यता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान उपस्थिति			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के पद पर
सरकार द्वारा नामित निदेशक							
श्रीमती उमा शेखर डीआईएन: 09438145	अपर सचिव(एल एवं टी), विदेश मंत्रालय	4	4	नहीं	शून्य	1	0
डा. नीरज सिन्हा डीआईएन: 09415304	वरिष्ठ परामर्शदाता एवं प्रमुख, नीति आयोग	4	4	हां	शून्य	1	0
डा. एम सुब्रामनियम डीआईएन: 09539830	संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अंतरिक्ष विभाग	4	4	हां	1	1	1

नोट:

- ऊपर उल्लिखित निदेशक पदों की संख्या निदेशकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार है।
- प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पनी का कोई भी निदेशक अपनी निदेशक पदधारिता वाली कम्पनियों में दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा उनमें पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं कर रहा है।
- कॉर्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सदस्यता की सीमा की गणना के उद्देश्य से, केवल लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।
- कम्पनी ने कम्पनी के संबंध में लागू कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करने और गैर-अनुपालन की घटनाओं में सुधार के लिए कम्पनी में सुधार उपायों की व्यवस्था की है। निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत होने वाले त्रैमासिक अनुपालन प्रमाणपत्रों की समीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियां

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें दिनांक 06.08.2022, 30.11.2022, 23.01.2023 तथा 31.03.2023 को आयोजित की गई थी।

निदेशक मंडल की सांविधिक समितियां

निदेशक मंडल स्तरीय उप-समिति के रूप में गठित समितियां निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	समिति का नाम
1	लेखापरीक्षा समिति
2	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति
3	पारिश्रमिक समिति

1. लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष सहित) तथा एक कार्यात्मक निदेशक समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे। कम्पनी सचिव समिति के सचिव के कार्य देखते हैं।

संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में संदर्भ शर्तों तथा समय-समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की चार बार बैठकें दिनांक 06.08.2022, 30.11.2022, 22.01.2023 तथा 31.03.2023 को आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
1	डा. एम. सुब्रामनियम	अध्यक्ष	4	4
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	4	4
3	डा. नीरज सिन्हा	सदस्य	4	4
4	श्री ए. अरूणाचलम	सदस्य	4	4

निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का गठन सरकार द्वारा नामित निदेशकों के साथ किया गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति में तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष सहित) तथा एक कार्यात्मक निदेशक समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं। कम्पनी सचिव समिति के सचिव के कार्य देखते हैं।

संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में संदर्भ शर्तों तथा समय-समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें दिनांक 06.08.2022, 22.01.2023 तथा 21.03.2023 को आयोजित की गई थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
1	डा. नीरज सिन्हा	अध्यक्ष	3	3
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	3	3
3	डा. एम. सुब्रामनियम	सदस्य	3	3
4	श्री ए. अरूणाचलम	सदस्य	3	3

विचाराधीन वर्ष के दौरान समिति की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

3. पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं अधिकारियों तथा गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण की नीति के निर्धारण के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2023 तक, पारिश्रमिक समिति में सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक शामिल थे। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण, सरकार द्वारा नामित निदेशक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। कम्पनी सचिव समिति के सचिव के कार्य देखते हैं।

समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्रीमती उमा शेखर	अध्यक्ष
2	डा. एम. सुब्रामनियम	सदस्य
3	डा. नीरज सिन्हा	सदस्य

संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसरण में संदर्भ शर्तों तथा समय-समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक:

वर्ष 2022-23 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरण में दिया गया है।

(ii) सरकार द्वारा नामित निदेशकों को प्रतिपूर्ति:

सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

आचार संहिता

कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए कम्पनी द्वारा आचार संहिता को अंगीकार किया गया है, तथा इसका वितरण सभी संबंधितों को किया गया है। कम्पनी की वेबसाइट <https://www.nsilindia.co.in/> पर भी इसे अपलोड किया गया है। कम्पनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न है।

शेयरधारिता पैटर्न

कम्पनी भारत या विदेश में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कम्पनी की संपूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामित द्वारा धारित है।

आम सभा की बैठकें

कम्पनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	तिथि	समय	स्थल	विशेष संकल्प
2019-20	29.12.2020	प्रातः 10.30	अध्यक्ष बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बंगलुरु	हां
2020-21	24.12.2021	प्रातः 11.00	अध्यक्ष बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बंगलुरु	हां
2021-22	29.09.2022	प्रातः 10.00	अध्यक्ष बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बंगलुरु	हां

वार्षिक आम सभा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चौथी वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 25 सितंबर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष कार्यालय में बोर्ड रूम, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बंगलुरु - 560 094 में किया गया था।

प्रकटीकरण

i. संबंधित पार्टी संव्यवहार

वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा उनके संबंधियों अथवा प्रबंधन के साथ किसी प्रकार के ऐसे सामग्रीगत संव्यवहार नहीं हुए हैं जिनसे कम्पनी के हितों के साथ संभावित हित संघर्ष की संभावना हो सके। संबंधित पक्ष संव्यवहार से संबंधित प्रकटीकरण लेखांकन नोट संख्या 34 तथा 40 में किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन / गुण दोष व्याख्या / अर्थदंड

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कम्पनी द्वारा उल्लंघन किए जाने की कोई स्थिति नहीं है तथा किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है / गुण दोष व्याख्या नहीं की गई है।

iii. सतर्कता तंत्रव्यवस्था / व्हिसल ब्लोअर नीति

कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की गई है। इस तंत्रव्यवस्था में इसका उपयोग करने वाले कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी है, तथा इसमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की व्यवस्था भी है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

iv. अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट शासन प्रमाणपत्र में सूचित गैर-अनुपालनों के अलावा, कम्पनी ने कॉर्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। गैर-अनुपालन के कारण प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव की टिप्पणियों के उत्तर के रूप में अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

v. राष्ट्रपति के निर्देश

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जसमय समय पर राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

vi. लेखा बहियों में नामे की गई व्यय की वे मदें जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं

लेखा बहियों में नामे की गई कर्मचारियों / भूतपूर्व कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय के अलावा, अन्य किसी ऐसी मद पर कोई व्यय नहीं किया गया है जो व्यवसाय अथवा आनुषंगिक रूप से सम्बद्ध न हो।

vii. व्ययित व्यय, जो वैयक्तिक प्रकार के हैं तथा जिन्हें निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए किया गया है।

निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए किए गए व्यय कम्पनी के नियमों के अंतर्गत अनुमत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, लाभ की प्रकृति के हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति का कोई अन्य व्यय नहीं किया गया है।

viii. प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय कुल व्यय पिछले वर्ष के 1.25% की तुलना में 0.69% है।

संचार के माध्यम

- कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.nsilindia.co.in पर कम्पनी तथा अन्य से संबंधित जानकारी की प्रस्तुति की जाती है जिनमें सूचना अधिकार अधिनियम एवं सांविधिक व्यवस्था के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी भी शामिल है।
- कर्मचारियों के हित से संबंधित मामलों को नोटिस, कार्यालय आदेश एवं अनुदेशों के स्वरूप में प्रसारित किया जाता है।

निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसरण में, कम्पनी के पास निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है। निदेशकों को कम्पनी के कार्य, व्यवसाय तथा कॉर्पोरेट शासन से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, सरकार एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामांकित किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, कम्पनी के व्यावसायिक प्रोफाइल के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक स्वागत पत्र नव नियुक्त निदेशक को भेजा जा जाता है। कम्पनी प्रबंधन निदेशक को कम्पनी, जिस क्षेत्र में कम्पनी के परिचालन होते हैं, उत्पादों, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, प्रशासन, आंतरिक नियंत्रण, विनियमों और कम्पनी के कामकाज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रति अनुकूलन करता है।

कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित) तथा विदेश मंत्रालय, नीति आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग से सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। निदेशकों को कम्पनी के कार्यों से संबंधित मामलों के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त है।

अनुपालन

कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन की तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति निर्धारित प्रारूप में तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा ग्रेडिंग

कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन से संबंधित ग्रेडिंग रिपोर्ट की प्रस्तुति तिमाही एवं वार्षिक आधार पर अंतरिक्ष विभाग को की जाती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए कम्पनी की मिश्रित स्कोर रेटिंग 95% अंकों के साथ 'उत्कृष्ट' आंकी गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

दिनांक : 18.09.2023

स्थान : बेंगलुरु

डी राधाकृष्णन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

कॉर्पोरेट लोक उद्यम विभाग के कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश के खंड 4.5 के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

- हमने, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:-
 - इन विवरणों में किसी प्रकार का सामग्रीगत असत्य विवरण नहीं है अथवा इनमें किसी सामग्रीगत तथ्य का लोप नहीं किया गया है अथवा भ्रामक प्रस्तुति नहीं की गई है;
 - ये विवरण कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं तथा ये लागू विधि एवं विनियमों के अनुसरण में विद्यमान लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं;
- हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जो जालसाजी पूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा जिनसे कम्पनी की आचार संहिता का उल्लंघन में हो;
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं उसका अनुरक्षण करने के दायित्व की स्वीकृति करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमारी जानकारी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा परिचालन में किसी प्रकार सूचित किए जाने योग्य विसंगति नहीं आई है।
- हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में जानकारी दी है:
 - यह कि वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;
 - लेखांकन मानकों के अनुपालन के लिए लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;
 - हमारी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण जालसाजी की घटना नहीं आई है।

दिनांक : 18.9.2023

स्थान : बेंगलुरु

डी. राधाकृष्णन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

में यह पुष्टि करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में कम्पनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

दिनांक : 18.9.2023

स्थान : बेंगलुरु

हस्ता/-

डी. राधाकृष्णन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की रूपरेखा

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, समाज के प्रति एक उत्तरदेयी निगम के रूप में अपनी व्यावसायिक नीतियों तथा समग्र सामाजिक प्रगति, मानव विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान का सुनिश्चय करते हुए कार्य कर रहा है। हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा अध्याधीन निर्मित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, का यह मानना है कि प्रत्येक व्यवसाय के पास अपने उस समाज के कल्याण के लिए भी एक तंत्रव्यवस्था होनी चाहिए जिस समाज में वे व्यवसाय कर रहे हैं। कम्पनी के व्यावसायिक सिद्धांत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी के लिए की गई पहलों के अनुरूप हैं, जो अपने आसपास के समाज का विकास कम्पनी के साथ किए जाने के सुनिश्चय के लिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए संज्ञान में ली गई आवश्यकताओं तथा उपलब्ध निधियों के आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ की जाती है। ध्यान केन्द्र के अन्य क्षेत्रों में आंकाक्षी जिले, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण तथा कौशल विकास, संवहनीय विकास, स्वच्छता तथा अन्य अनेक हैं।

ऐसे कार्यक्रम कम्पनी अधिनियम 2013 के कानूनी रूपरेखा के दायरे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आयोजित किए जाते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कॉर्पोरेट सामाजिक नीति एवं संवहनीय विकास देख सकते हैं:

<https://www.nsilindia.co.in/csr>

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या
1	डा. नीरज सिन्हा	अध्यक्ष / सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
3	डा. एम. सुब्रामनियम	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
4	श्री ए. अरुणाचलम	सदस्य / निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	3	3

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया है:

वेबलिंक: <https://www.nsilindia.co.in/csr>

4. कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**

(रुपए में)

5	(क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ	2,47,10,04,196
	(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कम्पनी औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	4,94,20,085
	(ग) पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर परियोजनाओं अथवा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष	3,21,412*
	(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो	शून्य
	(ङ) वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर दायित्स [(ख)+(ग) +(घ)]	4,94,20,085

* वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सीएसआर के अव्ययित खाते ब्याज का उपार्जन

(रुपए में)

6.	(क) जारी सीएसआर परियोजनाओं (जारी एवं जारी के अलावा अन्य परियोजनाएं) पर व्यय की गई राशि	1,22,43,610
	(ख) प्रशासनिक ऊपरी व्यय पर व्यय की गई राशि	शून्य
	(ग) प्रभाव मूल्यांकन के लिए व्यय की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य
	(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि [(क) +(ख)+(ग)]	1,22,43,610
	(ङ) वित्तीय वर्ष में सीएसआर की अव्ययित राशि	

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (लाख रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
1,22,43,610	2,48,19,390	20/04/2023	प्रधान मंत्री केयर निधि	1,26,78,497 [#]	अंतरित की जानी है

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सीएसआर अव्ययित खाते में उपार्जित ब्याज (321,412 रुपए) शामिल है।

(च) सेट-आफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कम्पनी औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	4,94,20,085
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	1,22,43,610
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अधिक राशि [(ii)-(i)]	3,21,412*
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर परियोजनाओं अथवा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

* वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सीएसआर अव्ययित खाते का ब्याज



अट्टापपडी, केरल में जनजातिय महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभाल



बाल देखरेख के प्रारंभिक समस्याओं के लिए क्षमता निर्माण के दौरान आंगनवाड़ी कामगार, आशा कामगार तथा बालसखी



शिलांग में महिलाओं के लिए कानूनी पहुंच के लिए सहायता



नागपुर, महाराष्ट्र के आसपास के गांवों की ग्रामीण कन्याओं के लिए सिलाई कौशल के विकास कार्यक्रम

7. (क) पिछले तीन वर्षों से संबंधित सीएसआर की अव्ययित राशि का विवरण:

क्र. सं.	निकटवर्ती पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में कुल शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		वित्तीय वर्षों के दौरान व्यय के लिए शेष राशि (रुपए में)	विसंगति, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि		
1	वित्तीय वर्ष 2021-22	1,32,08,139	35,93,013	96,15,126	शून्य	लागू नहीं	35,93,013	लागू नहीं
2	वित्तीय वर्ष 2020-21	66,57,007	35,06,691	शून्य	33,33,359 1,73,332	29/09/2021 24/03/2022	शून्य	लागू नहीं
3	वित्तीय वर्ष 2019-20	-	-	-	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि के उपयोग से पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया है : नहीं

यदि हां, तो निर्मित / अधिग्रहित पूंजी परिसम्पतियों की संख्या बताएं :

वित्तीय वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की राशि के उपयोग से निर्मित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति (परिसम्पतियों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	सम्पति अथवा परिसम्पति (परिसम्पतियों) का संक्षिप्त विवरण [पूरे पते एवं संपत्ति के स्थल सहित]	परिसम्पति (परिसम्पतियों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई / प्राधिकरण / लाभग्राही का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू है	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं							

(नगर कार्यालय / नगर निगम / ग्राम के राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रत्येक सूचना दी जानी है तथा अचल परिसम्पति एवं उसकी चारदीवारियों के क्षेत्र का पूरा ब्योरा दिया जाना है)

9. यदि अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत का व्यय नहीं कर पाई है तो उसका / उसके कारण बताएं ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर 1,22,43,610 रुपए का व्यय किया है। पीएम केयर निधि में 1,26,78,497 रुपए का अंतरण किया जाएगा। शेष 2,48,19,390 रुपए की अव्ययित राशि विभिन्न जारी परियोजनाओं से संबंधित है तथा इसका व्यय सीएसआर नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

दिनांक : 18.09.2023

स्थान : बेंगलुरु

डी. राधाकृष्णन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08382973

डा. नीरज सिन्हा

अध्यक्ष - सीएसआर समिति

डीआईएन: 09415304



कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U74999KA2019GOI122175

प्राधिकृत पूंजी : 7500,00,00,000 रुपए

सेवा में,
सदस्य गण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड,
बेंगलुरु

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के संबंध में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के प्रमाणन के उद्देश्य से मेसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन के सुनिश्चय के लिए कम्पनी द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी।

हमारे द्वारा हमें प्रस्तुत रिकार्डों की जांच तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के अलावा, लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के संबंध में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के यथा लागू कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है :-

- क. एक मामले में निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य अंतराल 4 माह से अधिक है।
- ख. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।
- ग. सचेतक (व्हीसल ब्लोअर नीति) नीति का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

कृते बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

हस्ताक्षर/-
(बी राजेश्वर राव)
साझेदार

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 08.08.2023

यूडीआईएन : F009940D000698364

BRKS & Associates
Company Secretaries

First Floor, 76, Sri Sai Krupa, Phase - 2, Cascading Meadows,
Maragondanahalli, T C Palya, K R Puram, Bangalore - 560036

Chartered Accountants

24, 4th Main Road,
Malleswaram,
Bengaluru - 560 003.
India

Tel : +91 - 80 - 23348805
Mob. : +91 98440 56359
E-mail: shanbhogue_k_r@yahoo.com

PAL & SHANBHOGUE**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

सेवा में,

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्य,

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न स्टैंडएलोन इंड एएस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण तथा वित्तीय विवरणों के नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे यहाँ एतद्पश्चात स्टैंडएलोन इंड एएस विवरण कहा गया है) का संक्षेप सार शामिल है।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति को कम्पनी के स्टैंडएलोन क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह एवं इक्विटी परिवर्तन की उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कम्पनी अधिनियम ("अधिनियम") में की गई है।

मत का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ सनदी लेखाकारस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ सनदी लेखाकारस ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दी गई सूचना शामिल होती है परन्तु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

हमारे मतानुसार, स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार सामग्रीगत मिथ्या प्रतीत हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई सामग्रीगत मिथ्या कथन प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके बारे में रिपोर्ट किए जाने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यहां सूचित किए जाने के लिए कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

इंड एस स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन तथा शासी प्रबंधन के उत्तरदायी अधिकारियों के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह, इक्विटी प्रवाह परिवर्तन सहित सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एस स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे हैं, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि इंड एस वित्तीय विवरणों के निर्माण के समय कम्पनी के प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कम्पनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कम्पनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कम्पनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि स्टैंडएलोन प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

स्टैंडएलोन के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:

- स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

वस्तुतः स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्च्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है। शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे। तदनुसार, हमने प्रबंधन द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण पर भरोसा किया है।
 - ख हमारे विचार से, कम्पनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है।
 - ग इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन - पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, नकदी प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
 - घ हमारे विचार से, उक्त स्टैंडएलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुसरण में है।
 - ङ 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त रिकार्ड में ली गई लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर कोई भी निदेशक कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक के पद पर नियुक्ति के अयोग्य नहीं है।
 - च. कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के विवरण "अनुलग्नक क" में प्रस्तुत हमारी अलग रिपोर्ट में दिए गए हैं।
 - छ. कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत तथा सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - i. कम्पनी के प्रति ऐसे कोई न्यायिक मामले लंबित नहीं है जिनसे कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव संभव हो सके।
 - ii. कम्पनी द्वारा लागू कानून की अपेक्षाओं अथवा लेखांकन मानकों के अनुसार दीर्घकालिक अनुबंधों, डेरिवेटिव अनुबंधों सहित, से हो सकने वाली किसी प्रकार की सामग्रीगत हानियों, के प्रति प्रावधान किए गए हैं।
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को अंतरित करने में कोई देरी नहीं की है।
 - iv. (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाईयों (मध्यस्थों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कम्पनी ने विदेशी इकाई ("निधियन पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाईयों से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित समझा गया है, के आधार हमारी जानकारी में ऐसा कुछ प्रकाश नहीं आया है जिसके प्रभाव से ऐसा माना जा सके कि उपर्युक्त (क) एवं (ख) में नियम 11(ङ) के नियम (i) एवं (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्याकथन है।

- v. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चुकता किया गया लाभांश कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में चुकता किया है।
2. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अंतर्गत जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के उपबंधों के अनुसरण में हम आदेश के पैरा 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण "अनुलग्नक ख" में प्रस्तुत कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों का विवरण "अनुलग्नक ग" में प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृते पाल एंड शंभोगे

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

के. आर. शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 018578

यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") के संबंध में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में सम्बद्ध कम्पनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचालन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्बलता, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार

बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रक्रिया है। कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कम्पनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कम्पनी की आय और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया है; (3) जिससे कम्पनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कम्पनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित अनिवार्य घटकों पर विचार करके कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते पाल एंड शंभोगे

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

के.आर. शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 018578

यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

(न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की 'अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाएं' की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टकरणों तथा हमारे द्वारा सामान्य क्रम में की गई लेखा बहियों एवं रिकार्डों की जांच के आधार पर पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- i. कम्पनी की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के संबंध में :
 - क. कम्पनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों के सम्बद्ध विवरणों के परिमाणात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण का रिकार्ड यथोचित स्वरूप में अनुरक्षण किया है।
 - ख. जब कभी व्यवहार्य हुआ है तब प्रबंधन द्वारा औचित्यपरक अंतराल में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के भौतिक सत्यापन किए गए हैं। हमें दी गई सूचना के अनुसार ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की सामग्रीगत विसंगति प्रकाश में नहीं आई है।
 - ग. कम्पनी के पास कोई अचल सम्पत्तियां नहीं है, अतः हक विलेख कम्पनी के नाम से धारित होना लागू नहीं है।
 - घ. कम्पनी ने अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों सहित) का वर्ष के दौरान पुनः मूल्यांकन नहीं किया है।
 - ङ. हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 की यथास्थिति को, कम्पनी के खिलाफ बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वर्ष के दौरान किसी बेनामी सम्पत्ति के धारण के लिए कोई कार्रवाई न तो प्रारंभ हुई है और न ही लंबित है।
- ii. (क) कम्पनी के पास कोई मालसूची नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(ii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
(ख) वर्ष के दौरान कम्पनी को किसी भी समय बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से चालू परिसम्पत्तियों की रेहन के आधार पर 5 करोड़ रुपए के कुल योग से अधिक जमा के प्रति कार्यशील पूंजी सीमा की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
- iii. कम्पनी द्वारा कोई निवेश नहीं किए गए हैं, किन्हीं कम्पनियों/फर्मों/सीमित दायित्व साझेदारियों/अन्य पक्षकारों को ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, के रूप में किसी प्रकार की जमानत अथवा प्रतिभूति अथवा ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, 3(iii) के पैराग्राफ (क) से (च) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।
- iv. हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की संवीक्षा के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा धारा 185 तथा 186 में निर्दिष्ट कोई ऋण, गारंटियां, प्रतिभूतियां अथवा निवेश नहीं किए गए हैं। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड 3(iv) के प्रावधान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।
- v. हमें प्रदान की गई जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं तथा न तदनुसार जनता से जमा प्राप्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान एवं कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2015 के प्रावधान लागू नहीं हैं तथा आदेश के पैराग्राफ 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।
- vi. हमें दी गई सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के अनुसार लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की अपेक्षा नहीं की गई है तथा आदेश के पैराग्राफ 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।
- vii. क. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी की लेखा बहियों एवं रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा सामान्यतः वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर तथा सामग्रीगत सांविधिक देयताओं का अविवादित भुगतान संबंधित प्राधिकरणों को किया गया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के

- अनुसार कोई भी ऐसी अविवादित राशि भुगतान के लिए शेष नहीं है जिसका भुगतान देय तिथि से छह माह की अवधि में न किया गया हो। तदनुसार आदेश के खंड 3(vii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी लागू नहीं है।
- ख. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, किसी विवाद के कारण बकाया से संबंधित कोई भी राशि देय नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(vii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- viii. रिकार्ड न की गई ऐसी किसी पूर्व आय के ऐसे संव्यवहार नहीं है जिसका आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण के वर्ष में परित्याग किया गया हो अथवा आय के रूप में अनावरण किया गया हो।
- ix. क. कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता से कोई ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार आदेश का खंड 3(ix)(क) कम्पनी के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है।
- ख. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा कम्पनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश का खंड 3(ix)(ख) कम्पनी के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है।
- ग. वर्ष के दौरान कम्पनी ने आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किए हैं तथा वर्ष के प्रारंभ में न ही कोई आवधिक ऋण बकाया हैं, अतः आदेश के खंड 3(xi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
- घ. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की जांच के अनुसार वर्ष के दौरान अल्पकालिक निधियों की उत्पत्ति के माध्यम से निधियों की उत्पत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश का खंड 3(xi)(घ) रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है।
- ङ. कम्पनी की कोई सहायक कम्पनियां, सम्बद्ध कम्पनियां अथवा संयुक्त उद्यम नहीं हैं इस प्रकार आदेश के खंड 3(xi)(ङ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- च. कम्पनी की न तो कोई सहायक कम्पनियां, सम्बद्ध कम्पनियां अथवा संयुक्त उद्यम हैं तथा न ही ऋणों की प्राप्ति की गई है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(xi)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी अपेक्षित नहीं है।
- x. (क) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से किसी धन की उत्पत्ति नहीं की गई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(x) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों अथवा कंवर्टिबल डिबेंचरों (पूर्ण, आंशिक अथवा वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफ़ेंशियल आबंटन अथवा निजी स्थापन नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।
- xi. (क) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है अथवा कम्पनी के प्रति की गई कोई जालसाजी प्रकाश में आई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(xi)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 उपधारा (12) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सम्मुख कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 में निदिष्ट फार्म एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट वर्ष के दौरान फाइल नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के खंड (xi)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी अपेक्षित नहीं है।
- (ग) वर्ष के दौरान (तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक) कम्पनी कोई व्हीसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
- xii. हमारे मतानुसार, तथा हमारी जानकारी एवं प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) (क) से (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
- xiii. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार सम्बद्ध पार्टियों के साथ संव्यवहार के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन कम्पनी कर रही है तथा सम्बद्ध पार्टियों के साथ कम्पनी के सभी यथा लागू लेन-देन के प्रकटीकरण स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किए हैं।
- xiv. (क) हमारे मतानुसार, कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है।

- (ख) हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत अपनी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय एवं विस्तार के निर्धारण के लिए कम्पनी को अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को विचार में लिया है।
- xv. हमारे मतानुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है तथा इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान तथा आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvi. कम्पनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-ए के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(xvi) (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई रिकार्डों की जांच के अनुसार कम्पनी को तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी घाटे नहीं हुए हैं। इस प्रकार आदेश के खंड 3(xvii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी लागू नहीं है।
- xviii. वर्ष के दौरान कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 का खंड 3(viii) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।
- xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसम्पत्तियों के उपयोज्यता काल तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान की संभावित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं की हमारी जानकारी के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग की तिथि को ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है कि कम्पनी तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान देयताओं की पूर्ति, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में, जब कभी वे देय हों, न कर सके। हम, तथापि, यहां यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा तिथि के तथ्यों पर आधारित है तथा हम ऐसी कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि कम्पनी द्वारा तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि अपनी सभी देयताओं, जब कभी वे देय हों, का निवर्हन कर लिया जाएगा।
- xx. क. कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता दायित्व, जारी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं के अलावा, के संबंध में निर्धारित अव्ययित राशि का अंतरण, कम्पनी अधिनियम की धारा 135 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि में कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में किया गया है।
ख. कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता दायित्व से संबंधित जारी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं की अव्ययित राशि का अंतरण, कम्पनी अधिनियम की धारा 135 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, एक विशेष खाते में कर दिया है। इसके अलावा, कम्पनी ने यह प्रस्तुति दी है कि 123.57 लाख रुपए की शेष सीएसआर राशि (जारी परियोजनाओं से संबंधित नहीं) का अंतरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि में कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में (अर्थात् 30.9.2023 से पूर्व) कर दिया जाएगा।
- xxi. यह रिपोर्ट कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रस्तुत की गई है अतः खंड (xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते पाल एंड शंभोगे

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

के.आर. शंभोगे

साझेदार

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

सदस्यता संख्या 018578

यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की 'अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाएं' की रिपोर्ट के पैराग्राफ में संदर्भित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अंतर्गत

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
1	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय एवं लेखांकन संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए टैली साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। बाहर से टैली में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रवाहित होती हैं : 1. विदेश से प्राप्य एवं देय संव्यवहार; 2. कर्मचारी हितलाभ व्ययों का आकलन; तथा 3. वार्षिक लेखों का निर्माण हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा कम्पनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में ऐसे संव्यवहारों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए प्रणाली स्थापित है।
2	क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बड़ा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है?	कम्पनी द्वारा कोई ऋण प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा तदनुसार यह खंड लागू नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युत्क्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	कम्पनी को केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए न तो कोई प्राप्तियां हुई हैं तथा न ही किसी प्रकार के प्राप्य हैं।

कृते पाल एंड शंभोगे

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

के.आर. शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 018578

यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013
की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां**


न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार निर्माण करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा अपनी दिनांक 25.6.2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना स्वतंत्र किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

हमारी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण हमारी जानकारी में नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत किसी प्रकार की टिप्पणी किए जाने अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ संवर्धन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो।

कृते एवं की ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



(संजय कुमार झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

स्थल: नई दिल्ली

तिथि: 1.09.2023

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.2023 को स्थिति	31.03.2022 को स्थिति
	परिसम्पतियां:			
(1)	गैर चालू परिसम्पतियां			
	(क) सम्पत्ति,संयंत्र एवं उपकरण	1	4,38,482.08	4,11,855.09
	(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	2	-	33,866.09
	(ग) अन्य अमूर्त परिसम्पतियां	3क	29.65	3.24
	(घ) विकासधीन अमूर्त परिसम्पतियां	3ख	7.55	29.93
	(ङ) वित्तीय परिसम्पतिया			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य		-	-
	(iii) ऋण		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	4	11,973.25	15,925.68
	(च) आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)		-	-
	(छ) अन्य गैर-चालू परिसम्पतियां	5	20.09	37.97
	योग गैर-चालू परिसम्पतियां		4,50,512.63	4,61,717.99
(2)	चालू परिसम्पतियां			
	(क) मालसूचियां		-	-
	(ख) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य	6	76,382.44	82,602.63
	(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	7	11,241.28	2,946.78
	(iv) अन्य बैंक शेष	8	3,25,256.49	1,75,938.58
	(v) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	9	30,604.73	56,824.73
	(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	10	20,810.14	13,337.42
	योग चालू परिसम्पतियां		4,64,295.08	3,31,650.14
	योग परिसम्पतियां		9,14,807.71	7,93,368.13
(1)	इक्विटी एवं देयताएं :			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	5,60,760.00	91,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	12	99,880.27	53,177.47
	योग इक्विटी		6,60,640.27	1,44,177.47

(2) देयताएं				
(क) कुल चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	13	2,657.85	2,633.19	
(ii) व्यापार देय		-	-	
(ख) प्रावधान	14	15.33	8.19	
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	15	4,804.42	3,088.25	
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं		-	-	
योग गैर चालू देयताएं		7,477.60	5,729.63	
(ख) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	16			
(i) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की बकाया देयताएं		1.35	15.28	
(ख) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया देयताएं		76,810.49	6,23,066.28	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	1,51,783.09	5,167.08	
(ख) अन्य चालू देयताएं	18	3,931.51	5,633.54	
(ग) प्रावधान	19	14,163.40	9,578.85	
योग चालू देयताएं		2,46,689.84	6,43,461.03	
योग इक्विटी एवं देयताएं		9,14,807.71	7,93,368.13	

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट 1 से 40 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते मैसर्स पाल एंड शंभोगे

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

के.आर.शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 18578

आईसीएआई यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

एस.शानमुगा प्रिया

कम्पनी सचिव

अन्नामलै अरुणाचलम

निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति

डीआईएन : 09262267

राधाकृष्णन दुरैराज

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि रुपए लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार आंकड़े
I	परिचालनों से राजस्व	20	2,84,226.44	1,67,476.84
II	अन्य आय	21	9,816.07	5,707.60
III	कुल आय (I +II)		2,94,042.51	1,73,184.44
IV	व्यय:			
	(i) परिचालनों से राजस्व	22	1,69,994.50	67,381.51
	(ii) व्यापार स्टॉक का क्रय		-	-
	(iii) व्यापार स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन		-	-
	(iv) कर्मचारी हितलाभ व्यय	23	280.02	298.87
	(v) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	24	59,584.14	58,002.69
	(vi) अन्य व्यय	25	1,607.41	1,586.25
	योग व्यय (IV)		2,31,466.07	1,27,269.32
V	अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ (III- IV)		62,576.44	45,915.12
VI	अपरिहार्य मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		62,576.44	45,915.12
VIII	कर व्यय:			
	(i) चालू कर:	26		
	क) चालू वर्ष		14,157.59	9,573.91
	ख) पूर्व वर्ष		-	(1,044.37)
	(ii) आस्थगित कर	27	1,716.18	3,086.97
			15,873.77	11,616.50
IX	जारी परिचालनों से अवधि में लाभ (VII-VIII)		46,702.67	34,298.62
X	अन्य व्यापक आय			
	क (i) मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाना है		-	-
	क (ii) परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	36	0.12	-
	क (iii) आयकर से संबंधित मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाना है		-	-
XI	ख (i) मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाना है		-	-
	ख (ii) आयकर से संबंधित मदें मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाना है		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय/(हानियां)		0.12	-
XII	अवधि में कुल व्यापक आय (X+XI) (अवधि में लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय युक्त)		46,702.79	34,298.62
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी परिचालनों के लिए):			
	(1) मूल / समायोजित (रुपए)	28	1.61	12.12
	(2) डायल्युटिड (रुपए)		1.61	12.12

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट 1 से 40 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।
पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते मैसर्स पाल एंड शंभोगे

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

के.आर.शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 18578

आईसीएआई यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

एस.शनमुगा प्रिया

कम्पनी सचिव

अन्नामलै अरुणाचलम

निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति

डीआईएन: 09262267

राधाकृष्णन दुरैराज

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08382973

इक्विटी परिवर्तन विवरण

सीआईएन: U74999KA2019GO1122175

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

		(राशि रुपए लाख में)			
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष 01.04.2022	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःवर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष 31.03.2023	
91,000	-	91,000	4,69,760	5,60,760	
(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि					
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष 01.04.2021	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःवर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष 31.03.2022	
1,000	-	1,000	90,000	91,000	

ख. अन्य इक्विटी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	पूंजी रिजर्व	सिक्वोरिटी प्रीमियम	सामान्य रिजर्व				
1 अप्रैल, 2022 को शेष				53,177.48			53,177.48
लेखांकन नीति अथवा पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन				-			-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःवर्णित शेष				53,177.48			53,177.48
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				46,702.79			46,702.79
लाभांश							-
धारित आय में अंतरण							-
अन्य कोई परिवर्तन							-
31 मार्च, 2023 को शेष				99,880.27			99,880.27

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	पूजी रिजर्व	सिक्योरिटी प्रीमियम	सामान्य रिजर्व	धारित आय				
1 अप्रैल, 2021 को शेष				18,878.86				18,878.86
लेखांकन नीति अथवा पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन				-				-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःवर्णित शेष				18,878.86				18,878.86
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				34,298.62				34,298.62
लाभांश				-				-
धारित आय में अंतरण								-
अन्य कोई परिवर्तन								
31 मार्च, 2022 को शेष				53,177.48				53,177.48

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स पाल एंड शंभोगे
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

के.आर.शंभोगे
साझेदार

सदस्यता संख्या 18578

आईसीएआई यूडीआईएन: 23018578BGGUDZN2031

स्थान: बेंगलुरु

दिनांक: 25.6.2023

एस.शानमुगा प्रिया
कम्पनी सचिव

अन्नामलै अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति
डीआईएन: 09262267

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08382973

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	62,576.44	45,915.12
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	59,584.14	58,002.69
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से (लाभ) / हानि	(0.03)	0.21
बैंक जमा से ब्याज आय	(9,551.06)	(5,707.58)
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	10.80	204.26
अन्य व्यापक आय	0.12	-
अतृप्त विदेशी विनिमय (वाईईसीटी)	(74.32)	163.49
	1,12,546.09	98,578.19
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ		
परिसम्पतियों एवं देयताओं में परिवर्तन		
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत	3,952.43	(477.90)
अन्य गैर चालू परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत	17.88	65.92
व्यापार प्राप्यों में (बढ़त)/घटत	6,209.39	(12,891.35)
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत	26,219.99	(53,493.28)
अन्य चालू परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत	(7,472.72)	(9,933.14)
गैर चालू प्रावधानों में (बढ़त)/घटत	7.13	7.38
गैर चालू देयताओं में (बढ़त)/घटत	24.66	2,633.19
व्यापार देयताओं में (बढ़त)/घटत	(5,46,269.72)	5,06,699.17
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में (बढ़त)/घटत	1,46,616.01	(651.67)
अन्य चालू देयताओं में (बढ़त)/घटत	(1,702.03)	5,194.31
चालू प्रावधानों में (बढ़त)/घटत	4,584.55	8,476.19
	(3,67,812.41)	4,45,628.81
परिचालनों से उत्पन्न नकदी		
घटाएं: चुकता आयकर (निवल)	(2,55,266.33)	5,44,207.01
	(14,157.59)	(8,529.53)
	(2,69,423.92)	5,35,677.47
परिचालन क्रियाकलापों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री/(क्रय)	(52,349.07)	(5,03,698.89)
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ/(हानि)	0.03	(0.21)
बैंकों में जमा से प्राप्त ब्याज	9,551.06	5,707.58
	(42,797.98)	(4,97,991.53)

ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
चुकता लाभांश		-	-
शेयरों का निर्गम		4,69,760.00	90,000.00
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		4,69,760.00	90,000.00
नकदी एवं नकदी समतुल्यों पर विनिमय दर परिवर्तनों का प्रभाव (वाईसीटी)		74.32	(163.49)
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि		1,57,612.42	1,27,522.46
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य (संदर्भ नोट 7 तथा 8)		1,78,885.37	51,362.91
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (संदर्भ नोट 7 तथा 8)		3,36,497.78	1,78,885.37

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत जारी नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित इंड एस-7 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत किया गया है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते मैसर्स पाल एंड शंभोगे

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

के.आर.शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 18578

आईसीएआई यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

एस.शनमुगा प्रिया

कम्पनी सचिव

अन्नामलै अरुणाचलम

निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति

डीआईएन : 09262267

राधाकृष्णन दुरैराज

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक: 25.6.2023

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां

1. कम्पनी का संक्षिप्त परिचय

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("एनसिल" अथवा "कम्पनी") अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व की एक कम्पनी है। एनसिल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले उत्पादों तथा सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन किया जाता है तथा भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी अंतरण तंत्रव्यवस्था के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम आधारित उच्च प्रौद्योगिकी के निर्माण आधार के अनुरूप सक्षम बनाया जाता है। एनएससीएल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की वाणिज्यिक भुजा के दायित्व निभा रही है।

एनसिल की व्यावसायिक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है:

- अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रहों का स्वामित्व
- उपग्रहों का निर्माण तथा मांग के अनुसार उनका प्रक्षेपण
- ग्राहकों की उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना
- भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण तथा ग्राहक की अपेक्षाओं के प्रक्षेपण
- वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष आधारित सेवाएं
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को मिशन सहायता सेवाएं, तथा
- भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी का अंतरण

कम्पनी का कॉर्पोरेट कार्यालय इसरो मुख्यालय कैम्पस, नई बीईएल रोड, बेंगलुरु - 560094 में स्थित है।

2. निर्माण का आधार

क. अनुपालन विवरण

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) के प्रावधानों तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार तथा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में यथा लागू कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की डिविजन II (इंड एस अनुपालन अनुसूची III) की प्रस्तुति अपेक्षाओं, उचित मूल्यों पर मापन किए गए वित्तीय लिखतों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर प्रोद्भूत आधार पर किया गया है।

ये वित्तीय विवरण इंड एस 1 में उल्लिखित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के वर्गीकृत प्रावधानों के अनुरूप हैं। स्पष्टता के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा तुलन पत्र में विभिन्न मदों का समूहन किया गया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इन मदों का, जहां लागू है, अलग अलग समूहन समाप्त किया गया है।

जहां कहीं नए जारी लेखांकन मानक प्रारंभ में स्वीकार किए जा चुके हैं अथवा किसी विद्यमान लेखांकन मानक के अनुसार अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन अपेक्षित है, के अलावा लेखांकन नीतियों का उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है।

ख. कार्यात्मक एवं प्रस्तुति की मुद्रा

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (आईएनआर) में की गई है जो कम्पनी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा है। सभी राशियों को निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है।

ग. चालू / गैर-चालू वर्गीकरण

किसी परिसम्पति अथवा देयता का चालू के रूप में वर्गीकरण तब किया गया है जब यह निम्नलिखित स्थितियों के अनुरूप होती है:

- i. जब परिसम्पति / देयता से कम्पनी के सामान्य परिचालन क्रम में प्रतिफल / निपटान अपेक्षित हो अथवा जो बिक्री अथवा उपयोग के लिए आशित हो;
- ii. जब परिसम्पति/देयता का धारण बिक्री अथवा खपत के लिए किया गया हो;
- iii. जब परिसम्पति/देयता का धारण मुख्यतः व्यापार के लिए किया गया हो;
- iv. जब रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के परिसम्पति/देयता से, भीतर प्रतिफल अपेक्षित हो / उसका निपटान किया जाना हो;
- v. जब परिसम्पति विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।
- vi. जब इसके साथ, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए अप्रतिबंधित अधिकार न जुड़े हुए हों। जब देयताओं के उपबंधों से, प्रतिपक्षकार द्वारा विकल्प का उपयोग किए जाने पर, इसका निपटान करने से इक्विटी लिखतों के निर्गम का वर्गीकरण प्रभावित न होता हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण चालू/गैर-चालू के रूप में करने के उद्देश्य से कम्पनी ने इनके सामान्य परिचालन क्रम को बारह माह के रूप में लिया है। यह सेवाओं की प्रकृति तथा संसाधन के लिए परिसम्पतियों अथवा मालसूचियों के अधिग्रहण के मध्य समय तथा नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में उनसे प्रतिफल प्राप्ति के आधार पर है।

घ. अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का निर्माण स्वीकृति एवं इंड एस के सिद्धांतों के अनुरूप करने के लिए प्रबंधन को अनुमानों, निर्धारणों तथा पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे अनुमान, निर्धारण तथा पूर्वानुमान लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि को प्रकटीकरण की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं तथा अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व एवं व्यय की राशियों की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन की स्वीकृति उस अवधि में और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि के लिए दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं। विशेष रूप से, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, का प्रकटीकरण निम्नलिखित नोटों में किया गया है:

(i) राजस्व स्वीकृति:

कम्पनी द्वारा निश्चित मूल्य अनुबंधों के संबंध में अनुबंध में की गई सहमति के अनुसार पूर्णता की दिशा में प्रगति के मापन के लिए लक्ष्य / चरण के उपयोग से कार्य पूर्णता के प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। पूर्णता के प्रतिशत की विधि से किया जाने वाला लेखांकन कुल संभावित अनुबंध राजस्व एवं लागतों के अनुमानों पर निर्भर करता है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब अनुबंध से संबंधित विभिन्न तत्वों के राजस्व एवं लागतों के अनुमान विश्वसनीयता से किए जाने का औचित्यपरक आश्वासन होता है। इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग चूंकि ऐसे अनुमानों पर निर्भर करती है जिनका इन अनुबंधों की अवधि के दौरान लगातार मूल्यांकन किया जाता है, अतः जैसे-जैसे अनुबंध पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, स्वीकृति प्राप्त राजस्व तथा लाभ में संशोधन करने पड़ते हैं।

(ii) आयकर:

आयकर के प्रावधान के संबंध में निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान आंकने पड़ते हैं जिनमें ऐसे पूर्वानुमान भी आंकें जाते हैं कि क्या कर निर्धारणों में ऐसी विश्वसनीयता व्याप्त है कि कर स्थितियों को बनाए रखा जा सकेगा अथवा नहीं रखा जा सकेगा। कर निर्धारण में अनेकों जटिलताएं होती हैं जिनका समाधान केवल विस्तारित समय अवधियों में ही किया जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर:

आस्थगित कर की स्वीकृति, परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा उनकी वहन राशियों के मध्य कटौती योग्य एवं

करयोग्य अस्थाई भिन्नताओं के लिए उन दरों पर की जाती है जो प्रयुक्त की गई हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को जिनका पूर्ण उपयोग हुआ है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति उन अवधियों के दौरान भविष्य के कर योग्य लाभ की उत्पत्ति पर निर्भर करती है जिनमें अस्थायी भिन्नताएं तथा कर हानि के अग्रेषण से कटौती योग्य हुई हैं। इस प्रकार के आकलन करते समय कम्पनी द्वारा आस्थगित कर देयताओं तथा संभावित भावी कर योग्य आय के संभावित को विचार में लेती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की राशि को प्राप्तयोग्य माना जाता है, तथापि, अग्रेषण अवधि के दौरान भावी करयोग्य आय के अनुमान अगर काम होते हैं तो निकट भविष्य में ये न्यून हो सकती हैं।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाएं तथा प्रतिपूरक अनुपरिस्थिति

परिभाषित लाभ योजनाओं की लागत, प्रतिपूरक अनुपरिस्थिति एवं परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न अनुमान लगाए जाते हैं जो भविष्य में होने वाले वास्तविक के कारण भिन्न हो सकते हैं। इसके अंतर्गत छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि तथा मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं तथा इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व के अनुमानों में बदलाव होने की विश्वसनीयता काफी अधिक होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय परिसंपत्तियों पर संभावित क्रेडिट हानियां

वित्तीय संपत्तियों के लिए परिशोधन के प्रावधान चूक जोखिम तथा संग्रह की संभावित समय सीमा से संबंधित अनुमानों पर आधारित हैं। कम्पनी ऐसे अनुमानों के लिए पूर्वानुमानों का उपयोग करती है तथा यह कम्पनी के पूर्व इतिहास के आधार पर परिशोधन के आकलन की चयनित इनपुट पर आधारित होता है, जिसके लिए ग्राहक की साख, विद्यमान बाजार स्थितियों तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों का उपयोग किया जाता है।

ड. उचित मूल्यों का मापन

कम्पनी की कुछ लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरणों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों, दोनों, के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों का वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के विभिन्न स्तरों के लिए किया जाता है जो निम्नानुसार मूल्यांकन तकनीकों के लिए प्रयुक्त इनपुटों पर आधारित होती हैं:

स्तर 1: समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्यों से प्राप्त) रूप में विचार योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति अथवा देयता से संबंधित इनपुट जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा (अगोचर इनपुट) इनपुट पर आधारित नहीं हैं।

किसी परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य मापन के समय, कम्पनी द्वारा यथासंभव अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग किया जाता है। यदि किसी परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य के मापन के लिए प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य की तारतम्यता के विभिन्न स्तरों में आती है, तो उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य की तारतम्यता के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो कि संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण है।

च. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की जाती है, जबकि वर्ष से संबंधित लाभ का समायोजन गैर-नकदी प्रकार के संव्यवहारों, पूर्व अथवा भावी स्थगन अथवा भावी प्रचालनात्मक नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों तथा निवेश अथवा वित्तीय नकदी प्रवाह से संबंधित आय अथवा व्यय की मदों के प्रभाव के समायोजन के लिए किया जाता है। कम्पनी द्वारा अपने सभी अत्यधिक उच्च नकदी निवेश, जो नकदी अथवा नकदी समतुल्यों की ज्ञात नकद राशियों में तत्काल परिवर्तनयोग्य हैं, को विचार में लिया जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) स्वीकृति तथा मापन

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की प्रस्तुति संचित मूल्यहास तथा संचित क्षमता हानियों को घटाकर, यदि कोई हों, लागत पर की गई है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद की लागत में उसका क्रय मूल्य, व्यापार छूट, रियायतों को घटाने के पश्चात उससे संबंधित आयात शुल्कों तथा गैर-धनवापसी योग्य क्रय करों सहित मद को आशित उद्देश्य के लिए कार्यक्षम बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं।

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा अंतरित किए गए उपग्रहों की लागत का लेखांकन अंतरण के प्राधिकार के साथ उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार किया गया है।

यदि संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के महत्वपूर्ण भागों का उपयोज्यता काल भिन्न है, तो उनका लेखांकन संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की भिन्न मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के निपटान से किसी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

(ii) इंड एस में पारगमन

इंड एस में पारगमन के पश्चात कम्पनी ने अपनी प्रत्येक सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति, पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसार के लिए मापन के रूप में, 1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार के वहन मूल्य को जारी रखने का चयन किया गया था तथा इस वहन मूल्य को ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मानित लागत माना गया है (सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण नोट संख्या 4 देखें)।

(iii) अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती व्यय के पूंजीयन तभी किए गए हैं जब ऐसी विश्वसनीयता होती है कि व्यय से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे।

(iv) मूल्यहास

मूल्यहास को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि के उपयोग से परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल अथवा प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, जो भी उच्चतर हो, प्रभारित किया गया है।

ऐसी परिसम्पत्तियों, जिनका अलग अलग लागत मूल्य 0.5 लाख से कम है, का पूर्ण मूल्यहास क्रय के वर्ष में किया जाता है। 0.5 लाख रुपए अथवा अधिक मूल्य की परिसम्पत्ति लागतों का अवशिष्ट मूल्य, ऐसी परिसम्पत्तियों की मूल लागत का 1% माना जाता है। 1% के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति का अधिकतम सीमा तक मूल्यहास माना जाता है। कम्पनी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसम्पत्ति की प्रकृति	उपयोज्यता काल
भवन (इलेक्ट्रिकल प्रणालियां)	10 वर्ष
भवन (अस्थाई संरचनाएं)	3 वर्ष
भवन (आंतरिक साजसज्जा)	3 वर्ष
फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
कम्प्यूटर तथा पेरिफिलर्स	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
संचार प्रणाली	3 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

अंतरिक्ष विभाग द्वारा कम्पनी को अंतरित उपग्रहों के उपयोज्यता काल का निर्धारण अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है तथा कम्पनी को इसकी सूचना उपग्रह का अंतरण किए जाने के समय दी जाती है। उपग्रहों का कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है।

ख. अमूर्त स्थिर परिपरिसम्पतियां

अमूर्त परिपरिसम्पतियों की प्रस्तुति लागत में से संचित परिशोधन एवं क्षमता हानि को घटाकर की गई है। अमूर्त परिपरिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल पर उस तिथि से किया गया है जिस तिथि को वे उपयोग के लिए उपलब्ध हुई थीं।

पहचान योग्य अमूर्त परिपरिसम्पति का अनुमानित उपयोगी उपयोज्यता अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग स्थिरता, ज्ञात प्रौद्योगिकी प्रगति) के प्रभाव तथा परिपरिसम्पतियों से अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुरक्षण व्यय स्तर सहित अनेक कारकों पर निर्भर है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों तथा उपयोज्यता काल की आवधिक समीक्षा की जाती है।

आंतरिक रूप से उत्पन्न / आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित साफ्टवेयरों, जो संबंधित हार्डवेयर का भाग नहीं है, की लागत की स्वीकृत अमूर्त परिपरिसम्पति के रूप में की जाती है तथा इनका परिशोधन पांच वर्ष की अवधि में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। परिशोधन तब प्रारम्भ होता है जब परिपरिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। जब कभी अमूर्त परिपरिसम्पतियों (जो महत्वपूर्ण हों अथवा न हों) के उपयोज्यता काल का मूल्यांकन संभव नहीं होता है तो प्रापण के वर्ष में लागत का बट्टा किया जाता है। अमूर्त परिपरिसम्पतियों की क्षमता हानि की समीक्षा वार्षिक रूप में की जाती है तथा परिशोधन के संकेत मिलने पर परिपरिसम्पति का परिशोधन किया जाता है।

ग. मालसूचियां

मालसूचियां व्यापार भंडार, कच्चे माल, कार्य-प्रगति के स्वरूप में होती हैं तथा तैयार माल का मूल्य लागत से कम मूल्य पर एवं अनुमानित प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। सामग्रियों की लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर किया जाता है और इनमें उनके अधिग्रहण तथा उन्हें उनकी वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्ययकी गई लागतें शामिल होती हैं।

घ. राजस्व

(i) बिक्री

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों के निवल की स्वीकृति उस समय की जाती है जब ग्राहक को की जाने वाली आपूर्तियों अथवा उनके लिए निर्धारित / अनुबंधित परियोजना की आपूर्ति हो जाती है। तथापि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर आपूर्ति विलंबित की जाती है तथा ग्राहक इनका एवं बिलों की स्वीकृति कर लेता है तो राजस्व की स्वीकृति की जाती है तथा इसे इस कारण से रोका नहीं जाता है कि भौतिक आपूर्ति पूरी नहीं हुई है तथा इसमें आपूर्ति किए जाने की प्रत्येक विश्वसनीयता व्याप्त है एवं आपूर्तियां उपलब्ध, निर्धारित एवं आपूर्ति के लिए तैयार हैं तथा यदि आपूर्ति संस्थापन / जांच जैसी किसी शर्त के अध्याधीन होती है तो राजस्व की स्वीकृति, ग्राहक द्वारा आपूर्ति स्वीकार किए जाने तथा संस्थापन / जांच पूरी होने तक, नहीं की जाती है।

(ii) सेवाएँ

क) प्रक्षेपण, संस्थापन, कमीशनिंग एवं परीक्षण:

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों के निवल की स्वीकृति ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार लक्ष्य पूर्ति / कार्य पूर्णता के चरण के अनुसरण में की जाती है।

ख) एक्सेस शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता, आदि

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों के निवल, की स्वीकृति सेवा अनुबंध की प्रकृति, जो एकमुश्त सेवा अथवा आवृत्ति सेवा के रूप में होते हैं, के अनुसार सेवाएं प्रदान करते समय अथवा आवधिक रूप में की जाती है।

ग) परामर्शी सेवाएं

राजस्व की स्वीकृति सेवा अनुबंध की प्रकृति, जो एकमुश्त सेवा अथवा आवृत्ति सेवा के रूप में होते हैं, के अनुसार सेवाएं प्रदान करते समय अथवा आवधिक रूप में की जाती है।

(iii) मिश्रित अनुबंध

मिश्रित अनुबंध की प्रत्येक मद के लिए राजस्व की स्वीकृति ऊपर (i) तथा (ii) में किए गए मदों से संबंधित उल्लेख के अनुसार जाती है

(iv) अन्य आय**क) ब्याज**

ब्याज आय की स्वीकृति प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। तथापि, व्यापार प्राप्यों से ब्याज की स्वीकृति प्राप्ति के आधार पर होती है।

ख) रॉयल्टी

रॉयल्टी का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर ग्राहकों से स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाता है।

ग) निवेश पर लाभांश

निवेश पर लाभांश की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी का भुगतान प्राप्ति का अधिकारी स्थापित हो जाता है।

घ) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

विचाराधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि) निवल है।

ड. विदेशी मुद्रा संव्यवहार**(i) प्रारंभिक स्वीकृति**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तिथि की विनिमय दरों के उपयोग से, कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए जाते हैं।

(ii) अनुवर्ती मापन

विदेशी मुद्राओं की मौद्रिक परिपरिसम्पतियों तथा देयताओं का अंतरण रिपोर्टिंग तिथि की विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में किया जाता है। गैर मौद्रिक परिपरिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन, विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है तथा इनका अंतरण नहीं किया जाता। विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

च. वित्तीय लिखत**(i) स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन**

व्यापार प्राप्यों की प्रारंभिक स्वीकृति तब की जाती है जब वे उत्पन्न होते हैं। अन्य वित्तीय परिपरिसम्पतियों तथा वित्तीय देयताओं की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी लिखत के संविदागत प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है।

किसी वित्तीय परिपरिसम्पति अथवा वित्तीय देयता का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। इनके अधिग्रहण अथवा निर्गम से संबंधित प्रत्यक्ष संव्यवहार लागतों का उनके उचित मूल्य पर लेखांकन लाभ एवं हानि लेखा विवरण के माध्यम से किया जाता है।

(ii) वर्गीकरण एवं अनुवर्ती मापन**क) वित्तीय परिपरिसम्पतियां :**

किसी वित्तीय परिपरिसम्पति का प्रारंभिक मापन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :

- परिशोधन लागत पर

- एफवीटीपीएल (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)
- एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर)

वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण उनकी प्रारंभिक स्वीकृति के अनुसरण में नहीं किया जाता है, जो कि उन स्थितियों की अवधि में किया जाता है जब कम्पनी ने अपनी वित्तीय परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय माडल में परिवर्तन किए हों। किसी वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब यह निम्नलिखित दोनों स्थितियों की पूर्ति करती है तथा यह एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसम्पति का धारण एक ऐसे व्यवसाय माडल में किया गया है जिसके धारण का उद्देश्य परिसम्पति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति करना है; तथा

- वित्तीय परिसम्पति से संबंधित संविदागत उपबंधों से किसी निर्दिष्ट तिथि को नकदी प्रवाह की उत्पत्ति होगी जो केवल मूल एवं मूल राशि के बकाया ब्याज के भुगतान के लिए होगी।

नामे निवेश का मापन एफवीओसीआई पर तब किया जाता है जब यह निम्नलिखित दोनों स्थितियों की पूर्ति करती है तथा यह एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसम्पति का धारण एक ऐसे व्यवसाय माडल में किया गया है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाहों की प्राप्ति करना तथा वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री करना है; तथा

- वित्तीय परिसम्पति के संविदागत उपबंधों से किसी निर्दिष्ट तिथि को नकदी प्रवाह की उत्पत्ति होगी जो केवल मूल एवं मूल राशि के बकाया ब्याज के लिए होंगे।

इक्विटी निवेश, जो व्यापार के लिए धारित नहीं हैं, की प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई - इक्विटी निवेश के रूप में निर्दिष्ट) में उचित मूल्य के निवेश के विद्यमान अनुवर्ती परिवर्तनों का चयन किया जा सकता है यह चयन निवेश आधार पर किसी निवेश के लिए किया जाता है।

परिशोधन लागत अथवा एफवीओसी पर मापन न की गई के रूप में वर्गीकृत सभी वित्तीय परिसम्पतियों का मापन एफवीटीपीएल पर किया गया है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसम्पतियां	इन परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन उचित मूल्य पर किया गया है। ब्याज अथवा लाभांश आय सहित निवल लाभ एवं हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।
एफवीओसीआई पर नामे निवेश	इन परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन उचित मूल्य पर किया गया है। प्रभावी ब्याज विधि के अंतर्गत ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानियों तथा क्षमता हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। अन्य निवल लाभ एवं हानियों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ तथा हानियों का संचयन अन्य व्यापक में वर्गीकृत करके इसे लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।
एफवीओसीआई पर इक्विटी निवेश	इन परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन उचित मूल्य पर किया गया है। यदि लाभांश से निवेश की लागत की स्पष्ट वसूली की प्रस्तुति नहीं होती है तो लाभांश की स्वीकृति आय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। अन्य निवल लाभ एवं हानियों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है तथा इन्हें लाभ एवं हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है।
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पतियां	इन परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। परिशोधन लागत को क्षमता हानियों से न्यून किया जाता है। ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानियों तथा अक्षमता हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। किसी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति समाप्त होने पर उसे लाभ एवं हानि में स्वीकृत किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं :-

वित्तीय देयताओं का मापन परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल पर किया जाता है। यदि किसी वित्तीय देयता का वर्गीकरण व्यापार के लिए धारित के रूप में किया जाता है तो उसका वर्गीकरण एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताओं का मापन उचित मूल्य पर तथा किसी ब्याज सहित लाभ एवं हानियों में किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। अन्य वित्तीय देयताओं का मापन, प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से, परिशोधन लागत पर किया जाता है। ब्याज व्यय एवं विदेशी मुद्रा लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। स्वीकृति समाप्ति पर किसी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति भी लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

(iii) स्वीकृति समाप्ति**(क) वित्तीय परिसम्पतियां :**

कम्पनी द्वारा वित्तीय तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पति से संबंधित नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार कालातीत हो जाते हैं, अथवा इसके अधिकारों का अंतरण ऐसे संविदागत नकदी प्रवाहों की प्राप्ति ऐसे संव्यवहार में से किए जाने किया जाता है जिसमें वित्तीय सम्पति के स्वामित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित किए जाते हैं अथवा जिनमें कम्पनी न तो कोई अंतरण करती है और न ही सभी महत्वपूर्ण स्वामित्व के जोखिमों तथा प्रतिफलों का धारण करती है तथा वित्तीय परिसम्पतियों का नियंत्रण धारित नहीं करती है।

(ख) वित्तीय देयताएं:

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उसके संविदागत दायित्व पूरे हो जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं।

कम्पनी द्वारा भी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब इसके उपबंधों में संशोधन होता है तथा संशोधित उपबंधों के अनुसार नकदी प्रवाह अत्यधिक भिन्न होता है। ऐसे मामले में, संशोधित उपबंधों पर आधारित नई वित्तीय देयता की स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि के मध्य भिन्नता समाप्त हो जाती है तथा लाभ एवं हानि में नए उपबंधों के साथ वित्तीय देयता की स्वीकृति की जाती है।

छ. परिशोधन**(i) वित्तीय लिखतों का परिशोधन**

कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्तों की स्वीकृति निम्नानुसार की जाती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधन लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। किसी वित्तीय परिसम्पति को 'क्रेडिट परिशोधन' तब माना जाता है जब वित्तीय परिसम्पतियों से अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों पर एक अथवा अधिक घटनाओं से उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। किसी वित्तीय परिसम्पति क्रेडिट परिशोधन के प्रमाणों में निम्नलिखित स्पष्ट दर्शनीय डेटा शामिल होता है।

- उधारकर्ता अथवा जारीकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;

- अनुबंध का उल्लंघन जैसे चूक होना अथवा 365 दिन अथवा अधिक समय से पिछले देय चुकता न करना;

- कम्पनी द्वारा किसी ऋण या अग्रिम की शर्तों की पुनर्संरचना, जिन पर कम्पनी अन्यथा विचार नहीं किया जाता है

- जब यह विश्वसनीयता हो कि उधारकर्ता दिवालिया होगा अथवा अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा; अथवा

- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए कोई सक्रिय बाजार व्याप्त न होना।

व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते का मापन उपयोज्यता काल संभावित क्रेडिट की समान राशि पर किया जाता है।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, केंद्र/राज्य के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बकाया जिसके लिए प्रावधान/हानि भत्ते का मापन मामला आधार के अनुसार किया जाता है तथा इसके लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों को विचार में नहीं लिया जाता है।

(ii) गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षमता हानि

अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा कम्पनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा इस निर्धारित के लिए की जाती है कि उसमें क्षमता हानि के कोई लक्षण व्याप्त हैं अथवा नहीं हैं। यदि ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि के अनुमान आंके जाते हैं।

क्षमता हानि परीक्षण के लिए, स्वतंत्र नकदी प्रवाह की उत्पत्ति न करने वाली परिसम्पत्तियों का समूहन नकदी की उत्पत्ति करने वाली यूनिटों (सीजीयू) के साथ किया जाता है। प्रत्येक सीजीयू परिसम्पत्तियों के उस छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करती है जो नकदी प्रवाह करती हैं तथा मुख्यतः अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी प्रवाहों से स्वतंत्र हैं।

क्षमता हानि की स्वीकृति तब की जाती है जब परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की वहन राशि वसूलीयोग्य अनुमानित राशि से अधिक होती है। क्षमता हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ज. सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ

(i) उपदान

कम्पनी द्वारा एनसिल के सभी कर्मचारियों को शामिल करके उपदान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति अथवा रोजगार समाप्ति के समय, संबंधित कर्मचारी के वेतन तथा कम्पनी में रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

प्रावधान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। निवल परिभाषित हितलाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवल ब्याज व्यय तथा परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

एनसिल के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में नामांकित किया गया है। कम्पनी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में परिभाषित योगदान योजना के अनुसार मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 14% का योगदान करती है। योगदान का लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है तथा लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

(iii) प्रतिपूरक अनुपस्थिति

एनसिल की वेतनसूची में दर्ज सभी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति, एक और रोजगार लाभ योजना है, जिसका लेखंकन तुलन पत्र तिथि को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि की तत्काल स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है तथा इसे आस्थगित नहीं किया जाता है।

ज. आयकर

आयकर में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं। इसकी स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जो कि तब नहीं की जाती है जब किसी मद की स्वीकृति सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में की जाती है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष कर योग्य आय अथवा हानि पर देय अथवा प्राप्य संभावित कर तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय अथवा प्राप्य कर के कोई समायोजन शामिल हैं। चालू कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान अथवा प्राप्त होने वाली संभावित कर राशि के सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है। इसका मापन रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) के उपयोग से किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियों तथा चालू कर देयता को तभी सेट-ऑफ किया जाता है जब स्वीकृति प्राप्त राशियों को निर्धारित करने का विधिक प्रवर्तन योग्य अधिकार हो, तथा जो परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए तथा देयता का निवल आधार पर अथवा एक साथ निपटान के लिए आशित हो।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों से तथा कराधान उद्देश्यों से प्रयुक्त अनुवर्ती राशि के लिए परिसम्पतियों तथा देयताओं के मध्य अस्थाई भिन्नता के संबंध में आस्थगित कर की स्वीकृति की जाती है। आस्थगित कर की स्वीकृति अग्रेषित कर हानियों के संबंध में भी की जाती है।

आस्थगित कर की स्वीकृति निम्नलिखित के संबंध में नहीं की जाती है:

- किसी लेन-देन में परिसंपत्ति या देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;

- सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न कर योग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति उस विस्तार के लिए की जाती है जिसमें भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होने तथा उनके प्रति उपयोग किए जाने विश्वसनीयताव्याप्त होती है। अस्वीकृत अथवा स्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है / उन्हें उस विस्तार तक न्यून किया जाता है / कि इनसे क्रमशः संबंधित कर लाभों की प्राप्त की विश्वसनीयता है / विश्वसनीयता नहीं है;

आस्थगित कर का मापन उन कर दरों पर किया जाता है जो उस अवधि में उपयोग के लिए संभावित होंगे जब, प्रवर्तित कानून अथवा रिपोर्ट तिथि को मूलभूत रूप से प्रवर्तित के आधार पर, प्रतिफल की प्राप्ति होगी अथवा देयता का निपटान होगा।

आस्थगित कर के मापन से उन करों के परिणामों की प्रस्तुति होती है जो रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी की प्रत्याशाओं के अनुसार जिनका अनुसरण इसकी परिसम्पतियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली तथा निपटान के लिए किया जा सकेगा।

आस्थगित कर संपत्ति और देयता ऑफसेट हैं यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य एंटीटी या अलग-अलग कर एंटीटी पर लगाए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन उनका इरादा है चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करने का हो या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताओं की वसूली एक साथ की जाए।

झ. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का आकलन वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध निवल लाभ अथवा हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने की स्थितियों (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्युटिड आय के आकलन के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि तथा वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डायल्युटिड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

ञ. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:

किसी प्रावधान की स्वीकृति तब की जाती है जब उद्यम के पास पूर्व घटना के परिणामस्वरूप चालू दायित्व हो; इसमें यह विश्वसनीयता व्याप्त हो कि ऐसे दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा जिसके अनुमान विश्वसनीयता के साथ लगाए जा सकेंगे। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा इनका समायोजन चालू उत्तम अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है।

दुर्भर अनुबंधों से संबंधित प्रावधान अर्थात् ऐसे अनुबंधों जिनमें अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित अपरहिं अर्थ लागतें इनके अंतर्गत प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक हो जाते हैं, की स्वीकृति तब की जाती है जब यह विश्वसनीयता हो कि सम्मिलित आर्थिक लाभों की आवश्यकता, किसी दायित्व की पूर्ति के परिणामस्वरूप, वर्तमान दायित्व, ऐसे दायित्व के उत्तम अनुमानों के आधार पर, की पूर्ति के लिए अपेक्षित होगी।

जब विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं तो आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है। देयता के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब किसी संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्व से संसाधनों का बहिर्प्रवाह, जो नहीं भी हो सकता, अपेक्षित है।

ट. नकदी तथा नकदी समतुल्य

नकदी तथा नकदी समतुल्य में उपलब्ध नकदी, बैंक जमा तथा ऐसे अल्पावधि जमा निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन के जोखिम के साथ नकदी में तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं।

ठ. पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन

पूर्व वर्षों से संबंधित आय / व्यय, जो 300 लाख रुपए अथवा टर्नओवर के 0.5% से अधिक नहीं हैं, जो भी अधिक हों, को चालू वर्ष की आय / व्यय माना जाता है।

ड. सरकारी भवन

अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रदान किए गए भवन के किराए का लेखांकन, अंतरिक्ष विभाग से वास्तविक किराया मांग की प्राप्ति होने तक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किए जाने वाले बाजार किराया मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ढ. पट्टे

भा.ले.मा.116 के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी पट्टों की गणना परिसंपत्ति और पट्टे की देयता को मान्यता देकर दर्शाया गया है :

- कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों का पट्टा; तथा
- 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे।

निम्नलिखित नीतियां प्रारंभिक आवेदन की तिथि, 1 अप्रैल 2021 के बाद लागू होती हैं:

पट्टे की देयताओं को पट्टे की अवधि में पट्टेदार के कारण संविदात्मक भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, पट्टे में निहित दर के संदर्भ में निर्धारित छूट दर के साथ, जब तक कि (जैसा कि आमतौर पर मामला है) यह आसानी से निर्धारित नहीं है, उसमें जिस मामले में पट्टा शुरू होने पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। किसी सूचकांक या दर पर निर्भर होने पर ही परिवर्तनीय पट्टा भुगतान केवल पट्टा देयता के मापन में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में, पट्टा देयता के प्रारंभिक माप में यह मान लिया जाता है कि परिवर्तनीय तत्व पूरे पट्टे की अवधि में अपरिवर्तित रहेगा। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान उस अवधि में खर्च किए जाते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टा दायित्व के वहन मूल्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- किसी अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय प्रत्याशित राशि;
- पक्ष में दिए गए किसी भी खरीद विकल्प का प्रयोग मूल्य यदि उस विकल्प का आकलन करना यथोचित रूप से निश्चित है;
- पट्टे को समाप्त करने के लिए देय कोई दंड, यदि पट्टे की अवधि का अनुमान समाप्ति विकल्प के आधार पर किया गया है उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में पट्टा देयता की राशि पर मापा जाता है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि के लिए घटाया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:
- पट्टा शुरू होने पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान;
- प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत; तथा
- किसी भी प्रावधान की राशि की पहचान की जाती है, जहां कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्ति को ध्वस्त करने, हटाने या बहाल करने के लिए संविदात्मक आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक माप के बाद, बकाया शेष राशि पर एक स्थिर दर से प्रभारित ब्याज के परिणामस्वरूप पट्टा देयताओं में वृद्धि होती है और किए गए पट्टा भुगतान के लिए घटाई जाती है। उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों को पट्टे की शेष अवधि या परिसंपत्ति

के शेष आर्थिक जीवनकाल पर सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, यदि, शायद ही कभी, इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है।

जब कंपनी किसी भी पट्टे की अवधि के अपने अनुमान को संशोधित करती है, तो वह संशोधित अवधि को पूरा करने के लिए भुगतानों को दर्शाने हेतु पट्टा देयता की वहन राशि को समायोजित करती है, जिनपर संशोधित छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देनदारियों का वहन मूल्य उसी तरह संशोधित किया जाता है जब भविष्य के एक दर या सूचकांक पर निर्भर पट्टा भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, जबकि छूट दर अपरिवर्तित रहती है। दोनों ही मामलों में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के वहन मूल्य के बराबर समायोजन किया जाता है, जिसमें संशोधित वहन राशि शेष (संशोधित) पट्टे की अवधि में परिशोधित की जाती है। यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को शून्य पर समायोजित किया जाता है, तो आगे किसी भी कमी को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उन संविदाओं के लिए, जिसमें कंपनी को एक चिह्नित परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार दोनों देते हैं और पट्टेदार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आवश्यकता होती है, कंपनी ने पूरी संविदा के लिए एक पट्टे के रूप में गणना हेतु चुना है, अर्थात् संविदा के हिस्से के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए किसी भी राशि का आवंटन करता है और संविदात्मक भुगतान का अलग से लेखा जोखा रखता है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(राशि रुपए लाख में)

नोट संख्या	विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के अनुसार आंकड़े 31.3.2023	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के अनुसार आंकड़े 31.03.2022
1	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : क) भवन (ख) फर्नीचर एवं जुड़नार (ग) कार्यालय उपकरण (घ) कम्प्यूटर तथा संबंधित सामग्री (ङ) संचार प्रणाली (च) मोटर कार (छ) उपग्रह कक्षा-अंतरिक्ष विभाग से स्थानांतरित (ज) उपग्रह कक्षा-एनसिल	1.98 18.83 7.99 91.59 0.86 18.22 3,53,797.74 84,544.86	3.94 21.23 10.92 17.61 1.56 20.96 4,11,778.87 -
		4,38,482.08	4,11,855.09
	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ तथा अंत में परिसम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल एवं निवल वहन राशियों में व्यवसाय समुच्चय के माध्यम से प्रस्तुत आवर्धन, निपटान, अधिग्रहण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यहास एवं अक्षमता हानियों तथा व्युत्क्रमण के समाधान के प्रकटीकरण अलग से किए गए हैं।	इस नोट में संदर्भित अनुलग्नक	
2	पूंजी कार्य प्रगति पर (क) कम्प्यूटर तथा संबंधित सामग्री (ख) जीसेट 24 उपग्रह	- -	85.79 33,780.30
		-	33,866.09
3A	अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां : क) कम्प्यूटर साफ्टवेयर रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ तथा अंत में परिसम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल एवं निवल वहन राशियों में व्यवसाय समुच्चय के माध्यम से प्रस्तुत आवर्धन, निपटान, अधिग्रहण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यहास एवं अक्षमता हानियों तथा व्युत्क्रमण के समाधान के प्रकटीकरण अलग से किए गए हैं।	29.65	3.24
		इस नोट में संदर्भित अनुलग्नक	
3B	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां (क) साफ्टवेयर विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां - कालक्रम अनुसूची - अनुलग्नक के अनुसार	7.55	29.93
		इस नोट में संदर्भित अनुलग्नक	
4	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (i) जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा (ii) 12 माह से अधिक शेष परिपक्वता वाले बैंक जमा (iii) माल / सेवाओं के लिए अग्रिम	9,854.65 - 2,118.60	13,796.38 10.70 2,118.60
		11,973.25	15,925.68

5	अन्य गैर-चालू परिसम्पतियां (i) पूर्व चुकता व्यय	20.09	37.97
		20.09	37.97
6	व्यापार प्राप्य (i) व्यापार प्राप्य u अच्छा समझे गए - प्रतिभूत घटाएं : संदेहास्पद नामे के लिए भत्ता	1,964.50	9,243.79
		-	-
	1,964.50	9,243.79	
	(ii) व्यापार प्राप्य - अच्छा समझे गए - अप्रतिभूत घटाएं : संदेहास्पद नामे के लिए भत्ता	74,417.94	93,010.94
		-	-
	74,417.94	93,010.94	
	(iii) व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में अधिक वृद्धि है घटाएं : संदेहास्पद नामे के लिए भत्ता	215.06	204.26
		215.06	204.26
	-	-	
	(iv) व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि घटाएं : संदेहास्पद नामे के लिए भत्ता	-	-
-		-	
-	-		
व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची - अनुलग्नक के अनुसार		76,382.44	82,602.63
7	नकदी एवं नकदी समतुल्य (i) बैंकों में शेष (ii) कर्मचारियों के पास अग्रदाय राशि	11,241.19	2,946.62
		0.09	0.16
		11,241.28	2,946.78
8	अन्य बैंक शेष (i) 12 माह से कम अथवा समान शेष परिपक्वता वाले बैंक जमा (ii) सीएसआर गतिविधियों के लिए चिह्नित बैंक शेष	3,25,215.52	1,75,937.49
		40.97	1.09
		3,25,256.49	1,75,938.58
9	अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (i) जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा (ii) बैंकों में जमा से उपार्जित ब्याज (iii) उपार्जित आय (iv) माल अथवा सेवा के लिए अग्रिम	9,921.52	8,942.58
		4,247.66	4,441.08
		-	43,264.21
		16,435.56	176.86
		30,604.73	56,824.73
10	अन्य चालू परिसम्पतियां (i) अग्रिम आयकर तथा टीडीएस (ii) आयकर धनवापसी वित्तीय वर्ष 2020-21 (iii) आयकर धनवापसी वित्तीय वर्ष 2021-22 (iv) पूर्व चुकता व्यय (v) अन्य परिसम्पतियां	17,128.22	12,423.34
		826.02	794.39
		2,812.97	-
		42.69	119.64
		0.23	0.06
		20,810.14	13,337.42

11	इक्विटी शेयर पूंजी :			
	(क) प्राधिकृत :			
	(i) शेयरों की संख्या	सं	7,50,00,00,000	1,00,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (रुपए)		7,50,000.00	1,00,000.00
	(ख) निर्गम, अभिदत्ता एवं पूर्ण नकद चुकता:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं	5,60,76,00,000	91,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (रुपए)		5,60,760.00	91,000.00
	(ग) प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00
	(घ) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान			
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	सं	91,00,00,000	1,00,00,000
(ii) घटाएं: वर्ष के दौरान वापस क्रय किए गए शेयरों की संख्या		-	-	
(iii) जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	सं	4,69,76,00,000	90,00,00,000	
(iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान	सं	5,60,76,00,000	91,00,00,000	
(ड)	लाभांश एवं पूंजी के पुनर्भुगतान के प्रतिबंधों सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग के साथ सम्बद्ध अधिकार, वरीयता एवं प्रतिबंध: कम्पनी के संगम अनुच्छेद की शर्त पर सभी अधिकार (धारित प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए एक वोट के अधिकार सहित), सभी वरियताओं तथा प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण के प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल को प्राप्त हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम सभा में की जाने वाली घोषणा की शर्त पर है। यदि, निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई अन्यथा छूट अथवा कोई संशोधन नहीं किए जाते हैं, तो कर लाभ के पश्चात न्यूनतम 30% अथवा निवल सम्पति के 5%, जो भी उच्चतर हो, का वितरण, निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार को लाभांश के रूप में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूंजी के पुनर्भुगतान के रूप में किया जाना है। इसके अलावा, कम्पनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश के भुगतान के प्रति छूट मांगी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में भी लाभांश के भुगतान के प्रति छूट प्राप्ति की प्रस्तावना भी की जा रही है।			
(च)	कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या के उल्लेख सहित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर: कम्पनी के 10 रुपए मूल्य के समग्र 100% चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या 560,76,00,000 (पिछले वर्ष 91,00,00,000) है तथा इनका धारण भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामित के माध्यम से केन्द्र सरकार (भारत सरकार) द्वारा किया गया है।			
(छ)	विकल्प के अंतर्गत कोई शेयर आरक्षित नहीं हैं।			
(ज)	तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इक्विटी शेयरों में परिवर्तन योग्य कोई प्रतिभूतियां नहीं हैं।			
(झ)	तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि से संबंधित सूचना -----अनुलग्नक के अनुसार-----			

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रोमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	5,60,76,00,000	100%	धारण में परिवर्तन का प्रतिशत शून्य है
12	अन्य इक्विटी संलग्न इक्विटी परिवर्तन विवरण के अनुसार (3)			
	लाभ तथा हानि विवरण में अधिशेष / (न्यूनता)			
	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष			99,880.27
	जोड़ें : वर्ष में कुल अन्य व्यापक आय			53,177.47
	घटाएं : चुकता लाभांश			46,702.79
	(संलग्न इक्विटी परिवर्तन विवरण के अनुसार)			-
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष			99,880.27
13	अन्य वित्तीय देयताएं ग्राहकों से अग्रिम			
				2,657.85
				2,633.19
				2,657.85
				2,633.19
14	प्रावधान (क) कर्मचारी हितलाभ प्रावधान छुट्टी नकदीकरण के लिए उपदान के लिए			
				10.86
				5.87
				4.47
				2.33
				15.33
				8.19
15	आस्थगित कर देयताएं (निवल) आस्थगित कर देयता			
				4,804.42
				3,088.25
16	देय कर (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय (एमएसएमई) (ii) एमएसएमई के अलावा अन्यो को देय ***			
				1.35
				15.28
				76,810.49
				6,23,066.28
				76,811.84
				6,23,081.56
	अतिरिक्त सूचना: कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बकाया राशियों का विवरण निम्नानुसार है:			
	विवरण			
	1 देय मूल राशि तथा अचुकता शेष			1.35
	2 उपर्युक्त (1) पर देय ब्याज तथा अचुकता ब्याज			-
	3 एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत सभी विलंबित भुगतानों पर चुकता ब्याज			-
	4 वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात किया गया भुगतान			-
	5 देय ब्याज तथा उपर्युक्त (3) के अलावा विलंबित अवधि के लिए देय ब्याज			-
	6 ब्याज उपचय तथा अचुकता शेष			-

	7 आगे भुगतान के लिए देय ब्याज तथा उत्तरगामी वर्षों में भी देय ब्याज, जो कि लघु उद्यम को वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कठौतीयोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से चुकता किया जाना है		-	-
	*** एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित देय में 4,69,760 लाख रुपए का भुगतान अंतरिक्ष विभाग को प्रतिफल के तौर पर इक्विटी के स्वरूप में, एनसिल को अंतरित किए गए 10 उपग्रह के प्रति, देय है तथा इससे संबंधित इक्विटी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी कर दी गई है।			
17	अन्य वित्तीय देयताएं			
	(i) व्ययों के प्रति लेनदारों को		29.05	5.34
	(ii) एसएससी के अलावा अन्यो से अग्रिम		1,43,683.96	2,032.62
	(iii) रेहन जमा		1,419.79	1,372.22
	(iv) आईसीआरडी [इंसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपाजिट]		1,250.90	1,226.05
	(v) एसएससी से अग्रिम		449.68	-
	(vi) आस्थगित आय के प्रति देयता		889.06	117.20
	(vii) अन्य देयताएं		24.50	58.02
	(viii) अग्रिम राजस्व		4,036.14	355.62
			1,51,783.09	5,167.08
18	अन्य चालू देयताएं			
	(i) सांविधिक देयताएं		3,931.47	5,633.54
	(ii) अन्य देयताएं		0.04	-
			3,931.51	5,633.54
19	अल्पकालिक प्रावधान			
	(क) कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान			
	छुट्टी नकदीकरण के लिए		1.73	0.86
	उपदान के लिए		0.01	0.00
	(ख) अन्य			
	आयकर के लिए प्रावधान		14,161.67	9,577.98
				-
			14,163.40	9,578.85

नोट संख्या 1,2,3क तथा 3ख के अनुलगनक

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2022-23

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			योग	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	आवर्धन	निपटान / हटाई गई / समायोजन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग			
भवन									
भवन अस्थाई संरचना	11.10	-	-	-	-	-	11.10	8.97	2.02
भवन इलेक्ट्रिकल प्रणाली	1.92	0.04	-	-	-	-	1.96	0.23	0.23
भवन आंतरिक सज्जा	0.93	0.36	-	-	-	-	1.29	0.81	0.11
फर्नीचर एवं जुड़नार	27.14	0.29	-	-	-	-	27.44	5.91	2.69
कम्प्यूटर तथा संबंधित सामग्री	39.62	102.14	-	-	-	-	141.76	22.01	28.15
कार्यालय उपकरण	16.75	0.43	-	-	-	-	17.18	5.83	3.36
संचार प्रणाली	2.37	-	0.21	-	-	-	2.16	0.81	0.56
मोटर वाहन	22.12	-	-	-	-	-	22.12	1.16	2.74
कक्षीय उपग्रह - अंतरिक्ष विभाग से स्थानांतरित	4,69,760.00	-	-	-	-	-	4,69,760.00	57,981.13	57,981.13
कक्षीय उपग्रह -एनसिल	-	86,101.77	-	-	-	-	86,101.77	-	1,556.91
योग	4,69,881.97	86,205.02	0.21	-	-	-	5,56,086.78	58,026.87	59,577.89

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			योग	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य	31.03.2021 को निवल वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग			
भवन									
भवन अस्थाई संरचना	11.10	-	-	-	-	-	11.10	5.31	3.66
भवन इलेक्ट्रिकल प्रणाली	1.92	-	-	-	-	-	1.92	0.04	0.19
भवन आंतरिक सज्जा	0.93	-	-	-	-	-	0.93	0.51	0.31
फर्नीचर एवं जुड़नार	24.55	2.59	-	-	-	-	27.14	3.41	2.50
योग	4,69,881.97	86,205.02	0.21	-	-	-	5,56,086.78	58,026.87	59,577.89

कम्प्यूटर तथा संबंधित सामग्री	26.15	15.73	2.26	-	-	39.62	12.79	9.99	0.76	22.01	17.61	13.36
कार्यालय उपकरण	10.10	6.65	-	-	-	16.75	3.20	2.62	-	5.83	10.92	6.89
संचार प्रणाली	1.46	1.55	0.64	-	-	2.37	0.68	0.43	0.30	0.81	1.56	0.78
मोटर वाहन	-	22.12	-	-	-	22.12	-	1.16	-	1.16	20.96	-
कक्षीय उपग्रह - अंतरिक्ष विभाग से स्थानांतरित	-	4,69,760.00	-	-	-	4,69,760.00	-	57,981.13	-	57,981.13	4,11,778.87	-
योग	76.21	4,69,808.66	2.90	-	-	4,69,891.97	25.94	58,002.00	1.07	58,026.87	4,11,855.09	50.27

नोट:

- 1) व्यवसाय सामुच्चय तथा क्षमता हानियों / रिवर्सल के माध्यम से कोई अधिग्रहण नहीं है।
- 2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए संशोधन, जो 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात के वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों के लिए अनिवार्य हैं, भवन एवं ऐसे घटकों के संबंध में घटक लेखांकन का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान किया गया है तथा इनकी प्रस्तुति भवन के वृहत शीर्ष के अंतर्गत की गई है।

अमूर्त परिसम्पत्तियां (राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक			परिशोधन			योग	31.03.2023 को निवल बहन मूल्य	31.03.2022 को निवल बहन मूल्य					
	सकल राशि 01.04.2022	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल बहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग				संचित मूल्यहास 01.04.2022	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	योग
साफ्टवेयर	3.94	32.66	-	-	-	36.60	0.70	6.24	-	-	-	6.95	29.65	3.24
योग	3.94	32.66	-	-	-	36.60	0.70	6.24	-	-	-	6.95	29.65	3.24

अमूर्त परिसम्पत्तियां (राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक			परिशोधन			योग	31.03.2022 को निवल बहन मूल्य	31.03.2021 को निवल बहन मूल्य					
	सकल राशि 01.04.2021	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल बहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग				संचित मूल्यहास 01.04.2021	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	योग
साफ्टवेयर	0.34	3.60	-	-	-	3.94	0.01	0.69	-	-	-	0.70	3.24	0.33
योग	0.34	3.60	-	-	-	3.94	0.01	0.69	-	-	-	0.70	3.24	0.33



(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2022-23

पूँजी कार्य प्रगति पर

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य		
	सकल राशि 01.04.2022	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूँजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग 31.03.2023	संचित मूल्यहास 01.04.2022	अवधि के दौरान			विलोपन	समायोजन
कम्यूटर एवं संबंधित सामग्री	85.79	-	85.79	-	-	-	-	-	-	-	-	85.79
जीसेट 24	33,780.30	52,321.48	86,101.77	-	-	-	-	-	-	-	-	33,780.30
योग	33,866.09	52,321.48	86,187.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	33,866.09

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2021-22

पूँजी कार्य प्रगति पर

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				31.03.2022 को निवल वहन मूल्य	31.03.2021 को निवल वहन मूल्य		
	सकल राशि 01.04.2021	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूँजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग 31.03.2022	संचित मूल्यहास 01.04.2021	अवधि के दौरान			विलोपन	समायोजन
कम्यूटर एवं संबंधित सामग्री	-	85.79	-	-	-	85.79	-	-	-	-	-	85.79
जीसेट 24	-	33,780.30	-	-	-	33,780.30	-	-	-	-	-	33,780.30
योग	-	33,866.09	-	-	-	33,866.09	-	-	-	-	-	33,866.09



विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां (राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन								
	सकल राशि 01.04.2022	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग 31.03.2023	संचित मूल्यहास 01.04.2022	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	योग 31.03.2023	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य
सापटवेयर	29.93	-	22.38	-	-	7.55	-	-	-	-	-	7.55	29.93
योग	29.93	-	22.38	-	-	7.55	-	-	-	-	-	7.55	29.93

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां (राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन								
	सकल राशि 01.04.2021	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग 31.03.2022	संचित मूल्यहास 01.04.2021	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	योग 31.03.2022	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य	31.03.2021 को निवल वहन मूल्य
सापटवेयर	7.55	22.38	-	-	-	29.93	-	-	-	-	-	29.93	7.55
योग	7.55	22.38	-	-	-	29.93	-	-	-	-	-	29.93	7.55

अनुसूची 3ख - विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां कालक्रम अनुसूची का अनुलग्नक

राशि रुपए लाख में

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	पूंजी कार्य प्रगति पर की निम्नलिखित अवधि से संबंधित राशि				31.03.2023 को शेष
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर-ओसीपी ट्रांसपॉन्डर	-	-	7.55	-	7.55
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	पूंजी कार्य प्रगति पर की निम्नलिखित अवधि से संबंधित राशि				31.03.2022 को शेष
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	22.38	-	7.55	-	29.93
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची 6 का अनुलग्नक

राशि रुपए लाख म

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों में बकाया					31.03.2023 को शेष
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए	28,598.44	46,812.91	129.99	626.05	-	76,167.38
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्त-जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी अधिक है	-	-	-	-	215.06	215.06
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्त-जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी अधिक है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-
योग	28,598.44	46,812.91	129.99	626.05	215.06	76,382.44

राशि रुपए लाख म

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों में बकाया					31.03.2022 को शेष
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए	77,576.36	3,308.16	1,718.11	-	-	82,602.63
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्त-जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी अधिक है	-	-	1.08	203.18	-	204.26
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य u क्रेडिट क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य u अच्छे समझे गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्त-जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी अधिक है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-
योग	77,576.36	3,308.16	1,719.18	203.18	-	82,806.89

व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची 16 का अनुलग्नक

राशि रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों में बकाया					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 को शेष
(i) एमएसएमई की कुल बकाया देयताएं	1.32	0.03	0.00	0.00	-	1.35
(ii) अन्यो की कुल बकाया देयताएं	71,464.35	5,195.47	2.18	-	148.49	76,810.49
(iii) विवादित देयताएं- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	71,465.66	5,195.50	2.18	0.00	148.49	76,811.84

राशि रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों में बकाया					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को शेष
(i) एमएसएमई की कुल बकाया देयताएं	15.21	0.03	-	0.05	-	15.28
(ii) अन्यो की कुल बकाया देयताएं	5,29,887.20	751.63	92,427.44	-	-	6,23,066.28
(iii) विवादित देयताएं- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	5,29,902.41	751.66	92,427.44	0.05	-	6,23,081.56

नोट 12 का अनुलग्नक

तुलन पत्र के निर्माण की तिथि से तत्काल पूर्व निकटतम चार वर्ष की अवधि से संबंधित सूचना

राशि रुपए लाख में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े
(i) नकदी की प्राप्ति के बिना अनुबंध के अनुबंध के अनुसरण में आबंटित पूर्ण चुकता शेयरों की कुल संख्या तथा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) बोनस शेयर के माध्यम से आबंटित पूर्ण चुकता शेयरों की कुल संख्या तथा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) वापस क्रय किए गए चुकता शेयरों की कुल संख्या तथा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कम्पनी का निगमन 6.3.2019 को हुआ था। तदनुसार, पिछले चार वर्षों के लिए नोट-15 का अनुलग्नक वर्ष 2019-20 से आगे के लिए तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के अभिन्न भाग नोट

राशि लाख रुपए में

नोट संख्या	विवरण	31.03.2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े
20	परिचालनों से राजस्व :		
	(क) उत्पादों की बिक्री		
	(i) निर्यात	23.70	-
	(ii) घरेलू	113.80	73.66
	योग (क)	137.50	73.66
	(ख) सेवाओं की बिक्री :		
	(i) निर्यात		
	प्रेक्षण सेवा	1,16,240.23	18,519.89
	मिशन सहायता सेवा	155.16	115.46
	प्रेक्षण सेवा के लिए वैकल्पिक सेवा	108.38	-
	(ii) घरेलू		
	वायदा अनुबंध एसएससी	26,398.74	24,801.20
	घटाएं: अंतरिक्ष विभाग का राजस्व अंशभाग	(23,758.86)	(22,321.08)
		2,639.88	2,480.12
	जीसेट उपग्रह एसएससी (अंतरिक्ष विभाग से स्थानांतरित उपग्रह)	91,069.12	93,825.42
	बैंक टू बैंक एसएससी	73,377.56	52,431.85
	प्रेक्षण सेवा आईआर	372.93	-
	गेटवे अवसंरचना तथा परिचालन प्रभार	(0.48)	0.48
	घटाएं : अंतरिक्ष विभाग राजस्व अंशभाग	0.43	(0.43)
		(0.05)	0.05
	प्रौद्योगिकी अंतरण - घरेलू	125.72	30.20
	मिशन सहायता सेवा - घरेलू	-	0.18
	योग (ख)	2,84,088.94	1,67,403.18
	योग (क) + (ख)	2,84,226.44	1,67,476.84
21	अन्य आय :		
	(क) ब्याज आय		
	(i) बैंक में जमा पर	9,551.06	5,707.58
	(ii) एसएससी एवं बी2बी पर	91.55	-
	(iii) ब्याज अन्य	171.93	-
	(ख) विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं विनिमय से निवल लाभ		-
	(ग) परिसम्पत्ति की बिक्री से लाभ	0.03	0.02
	(घ) विविध आय	1.50	0.00
		9,816.07	5,707.60

22	परिचालन से राजस्व की लागत		
	(क) उत्पादों की लागत		
	(i) निर्यात	-	-
	(ii) घरेलू	96.74	63.94
	योग (क)	96.74	63.94
	(ख) सेवाओं की लागत		
	(i) निर्यात		
	प्रेक्षण सेवाएं	97,197.07	13,238.35
	प्रेक्षण सहायता के लिए वैकल्पिक सेवाएं	95.87	-
	मिशन सहायता सेवाएं	64.08	58.54
	(ii) घरेलू		
	बैंक टू बैंक एसएससी	67,337.08	49,191.10
	मिशन सहायता सेवाएं	-	0.13
	प्रौद्योगिकी अंतरण की लागत	104.64	26.26
प्रेक्षण सेवाएं	299.43	-	
डब्ल्यूपीसी लाइसेंस प्रभार	1.60	5.20	
उपग्रह परिचालन की लागत	4,798.00	4,798.00	
योग (ख)	1,69,897.76	67,317.56	
योग (क) + (ख)	1,69,994.50	67,381.51	
23	कर्मचारी हितलाभ व्यय		
	कर्मचारी हितलाभ व्यय - इसरो	153.63	181.47
	कर्मचारी हितलाभ व्यय - एनसिल		
	वेतन एवं भत्ते	103.00	92.85
	चिकित्सा	3.74	5.34
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	1.56	2.02
	छुट्टी यात्रा रियायत	-	-
	चुकता छुट्टी नकदीकरण	0.12	-
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	5.85	5.80
	उपदान प्रावधान	2.27	2.33
	एनपीएस में अंशदान	9.84	9.06
	280.02	298.87	
24	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	59,577.89	58,002.00
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन	6.24	0.69
	59,584.14	58,002.69	
25	अन्य व्यय :		
	प्रशासनिक व्यय		
	बैंक गारंटी तथा एलसी प्रभार	110.16	138.26
	बैंक प्रभार	12.02	6.21
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	10.80	204.26	

	संचार व्यय	19.85	7.78
	परामर्शी एवं व्यावसायिक शुल्क	172.10	94.06
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां व्यय (विवरण अनुलग्नक के अनुसार)	494.20	231.25
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रति	1.65	1.75
	आयकर लेखापरीक्षा के प्रति	0.30	0.20
	प्रमाणपत्र प्रभार के प्रति	0.05	0.05
	स्थापना व्यय	36.97	20.59
	जल प्रभार	-	-
	बीमा प्रभार	5.45	0.46
	विविध व्यय	0.55	6.89
	स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से हानि	-	0.23
	विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं विनिमय से निवल हानि	250.86	476.39
	कार्यालय व्यय	20.16	6.51
	कार्यालय अनुरक्षण व्यय	16.98	5.61
	सुरक्षा सेवा व्यय	15.62	14.88
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9.29	9.36
	बोली प्रबंधन व्यय	2.50	2.50
	वाहन अनुरक्षण प्रभार	1.40	-
	दरें एवं कर	77.85	229.01
	भवन का किराया	49.20	49.20
	भर्ती प्रभार	9.90	-
	सेमिनार, बैठक एवं कार्यक्रम व्यय	138.62	24.61
	आयकर टीडीएस पर ब्याज	0.61	9.47
	जीएसटी पर ब्याज	21.64	0.01
	प्रशिक्षण शुल्क	0.46	0.18
	यात्रा व्यय		
	घरेलू	71.82	20.61
	विदेश	19.10	3.98
	वेबसाइट अनुरक्षण	9.33	8.92
	बिक्री व्यय		
	विज्ञापन एवं प्रचार	8.07	10.78
	व्यवसाय प्रोत्साहन	19.92	2.27
		1,607.41	1,586.25
26	आय कर - चालू कर		
	चालू वर्ष	14,157.59	9,573.91
	पूर्व वर्ष	-	(1,044.37)
		14,157.59	8,529.53
27	आस्थगित कर		
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)	1,716.18	3,086.97
		1,716.18	3,086.97

वित्तीय विवरणों के नोट

26. कर व्यय

राशि रुपए लाख में

क) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय	14,157.59	8,529.53
आस्थगित कर व्यय (आय)	1,716.18	3,086.97
निवल कर व्यय	15,873.77	11,616.50

ख) अन्य व्यापक आय विवरण में स्वीकृत राशि

राशि रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रोजगार पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर (हानियों)/लाभ का पुनर्मापन	0.12	-
उपर्युक्त मद पर कर प्रभाव	-	-
व्यय (आयकर का निवल)	0.12	-

ग) आयकर प्रावधान का पुनःसमाधान

राशि रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	दर	राशि	दर
जारी परिचान से पूर्व लाभ/(हानि)	62,576.44	25.168%	45,915.12	25.168%
संभावित आयकर व्यय	-	15,749.24	-	11,555.92
संभावित आयकर व्यय का रिपोर्टिड आयकर व्यय के लिए पुनःसमाधान करके कर प्रभाव का समायोजन	-	-	-	-
गैर कटौतीयोग्य व्यय	-	-	-	-
सीएसआर व्यय	494.20	124.38	231.25	58.20
टीडीएस पर ब्याज	0.61	0.15	9.47	2.38
समायोजन का प्रभाव (निवल)	494.81	124.53	240.72	60.58
वर्ष का कुल आयकर व्यय	-	15,873.77	-	11,616.50
प्रभावी कर दर	-	25.37%	-	25.30%

घ) स्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियां एवं देयताएं

राशि रुपए लाख में

विवरण	आस्थगित कर (परिसम्पतियां)	आस्थगित कर देयताएं	निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	-	1,720.94	1,720.94
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(2.72)	-	(2.72)
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(2.04)	-	(2.04)
निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं	(4.76)	1,720.94	1,716.18

राशि रुपए लाख में

विवरण	आस्थगित कर (परिसम्पतियां)	आस्थगित कर देयताएं	निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	-	3,140.65	3,140.65
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(51.41)	-	(51.41)
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(2.28)	-	(2.28)
निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं	(53.69)	3,140.65	3,086.97

ड) अस्थाई भिन्नताओं में मूवमेंट

राशि रुपए लाख में

विवरण	1 अप्रैल 2022 को शेष	2022-23 में लाभ एवं हानि में स्वीकृत	2022-23 में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	31 मार्च, 2023 को शेष
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	3,141.94	1,720.94	-	4,862.87
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(2.28)	(2.04)	-	(4.32)
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(51.41)	(2.72)	-	(54.13)
योग	3,088.25	1,716.18	-	4,804.42

राशि रुपए लाख में

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	2021-22 में लाभ एवं हानि में स्वीकृत	2021-22 में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	31 मार्च, 2022 को शेष
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	1.28	3,140.65	-	3,141.94
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	-	(2.28)	-	(2.28)
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	-	(51.41)	-	(51.41)
योग	1.28	3,086.97	-	3,088.25

प्रत्यक्ष कर आकस्मिकताएं

कम्पनी का आय एवं व्यय के कर उपचार के संबंध में आयकर प्राधिकरण के साथ कोई वर्तमान विवाद नहीं है।

27. आस्थगित कर (निवल)

राशि रुपए लाख में

विवरण	31.3.2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	31.3.2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
आस्थगित कर परिसम्पतियों की मदों का कर प्रभाव		
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण के बही शेष तथा कर शेष में भिन्नता से	-	-
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अस्थाई अस्वीकृति	2.04	2.28
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	2.72	51.41
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अग्रेषित अनावशोषित हानियां	-	-
	4.76	53.69

आस्थगित कर देयता की मदों का कर प्रभाव सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण के बही शेष तथा कर शेष में भिन्नता से	1,720.94	3,140.65
	1,720.94	3,140.65
लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृति के लिए राशि आस्थगित कर परिसम्पत्ति (देयता) का प्रारंभ शेष	(1,716.18)	(3,086.97)
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर परिसम्पत्ति (देयता)	(3,088.25)	(1.28)
	(4,804.42)	(3,088.25)

28. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल ईपीएस राशियों का आकलन वर्ष के दौरान के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ को इक्विटी शेयरों की बकाया भारत औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

डाब्ल्यूटिड ईपीएस राशियों का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ तथा प्रत्येक डाब्ल्यूटिव संभावी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या को विभाजित करके किया जाता है।

i. मूल कंपनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ

राशि रुपए लाख में

	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कर पश्चात लाभ	46,702.79	34,298.62
मूल आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ	46,702.79	34,298.62
अन्य	-	-
डाब्ल्यूशन प्रभाव के लिए समायोजित कंपनी इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ	46,702.79	34,298.62
प्रति शेयर मूल / समायोजित आय (रुपए)	1.61	12.12
प्रति शेयर डाब्ल्यूटिड आय (रुपए)	1.61	12.12

ii. इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या

विवरण	तिथि	शेयरों की संख्या	शेयरों का शेष	भारत आबंटन (दिनों में)	इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या
प्रारंभ शेष	01-04-2022	91,00,00,000	91,00,00,000	365	91,00,00,000
निर्गम	23-11-2022	4,69,76,00,000	5,60,76,00,000	129	1,98,18,64,110
ईपीएस के लिए 31 मार्च 2023 को शेयरों की भारत औसत संख्या					2,89,18,64,110

विवरण	तिथि	शेयरों की संख्या	शेयरों का शेष	भारत आबंटन (दिनों में)	इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या
प्रारंभ शेष	01-04-2021	1,00,00,000	1,00,00,000	225	61,64,384
निर्गम	12-11-2021	70,00,00,000	71,00,00,000	132	25,67,67,123
निर्गम	24-03-2022	20,00,00,000	91,00,00,000	8	1,99,45,205
ईपीएस के लिए 31 मार्च 2022 को शेयरों की भारत औसत संख्या					28,28,76,712

29. वित्तीय लिखत u उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन
क. लेखांकन वर्गीकरण तथा उचित मूल्य

	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022				राशि रुपए लाख में			
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	योग	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	योग	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	11,973.25	11,973.25	-	-	15,925.68	15,925.68	-	-	-	-
गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	20.09	20.09	-	-	37.97	37.97	-	-	-	-
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	11,993.34	11,993.34	-	-	15,963.64	15,963.64	-	-	-	-
पूर्व चुकता व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां												
चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां												
व्यापार प्राप्य	-	-	76,382.44	76,382.44	-	-	82,602.63	82,602.63	-	-	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	11,241.28	11,241.28	-	-	2,946.78	2,946.78	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-	3,25,256.49	3,25,256.49	-	-	1,75,938.58	1,75,938.58	-	-	-	-
जारी गारंटी के प्रति धारित मार्जिन धन	-	-	9,921.52	9,921.52	-	-	8,942.58	8,942.58	-	-	-	-
बैंकों में जमा से उपार्जित ब्याज	-	-	4,247.66	4,247.66	-	-	4,441.08	4,441.08	-	-	-	-
उपार्जित आय	-	-	-	-	-	-	43,264.21	43,264.21	-	-	-	-
वस्तु एवं सेवाओं के लिए अग्रिम	-	-	16,435.56	16,435.56	-	-	176.86	176.86	-	-	-	-
	-	-	4,43,484.95	4,43,484.95	-	-	3,18,312.72	3,18,312.72	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय देयताएं												
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय देयताएं												
गैर-चालू वित्तीय देयताएं												
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	2,657.85	2,657.85	-	-	2,633.19	2,633.19	-	-	-	-
	-	-	2,657.85	2,657.85	-	-	2,633.19	2,633.19	-	-	-	-

उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय देयताएं													
चाबू वित्तीय देयताएं													
व्यापार प्राप्य	-	76,811.84	76,811.84	-	-	6,23,081.56	6,23,081.56	-	-	-	-	-	-
व्ययों के लेनदार	-	29.05	29.05	-	-	5.34	5.34	-	-	-	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्य अग्रिम	-	1,43,683.96	1,43,683.96	-	-	2,032.62	2,032.62	-	-	-	-	-	-
रेहन जमा	-	1,419.79	1,419.79	-	-	1,372.22	1,372.22	-	-	-	-	-	-
आईसीआरडी [इनसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपॉजिट]	-	1,250.90	1,250.90	-	-	1,226.05	1,226.05	-	-	-	-	-	-
एसएससी के लिए अग्रिम	-	449.68	449.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आस्थगित आय देयता	-	889.06	889.06	-	-	117.20	117.20	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं	-	24.50	24.50	-	-	58.02	58.02	-	-	-	-	-	-
अग्रिम राजस्व	-	4,036.14	4,036.14	-	-	355.62	355.62	-	-	-	-	-	-
	-	2,28,594.93	2,28,594.93	-	-	6,28,248.64	6,28,248.64	-	-	-	-	-	-

उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 - समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य (गैर-समायोजित)
 स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से प्राप्त) रूप में स्पष्ट हैं।
 स्तर 3 - परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं की इनपुट जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा (अस्पष्ट इनपुट) हैं।
 स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई अंतरण नहीं किए गए हैं।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के सम्मुख वित्तीय लिखतों से निम्नलिखित जोखिम व्याप्त हैं :-

- क्रेडिट जोखिम;
- नकदी जोखिम; तथा
- बाजार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय, ग्राहकों से प्राप्त जमा तथा व्ययों से संबंधित अन्य देय हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के परिचालनों का वित्तीय है। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार प्राप्य, नकदी, जमा एवं उपार्जित आय है जो सीधे इसे परिचालनों से प्राप्त होती है।

कम्पनी की गतिविधियों के लिए विविध प्रकार के वित्तीय जोखिम: बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम हैं। कम्पनी का प्रमुख ध्यान वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के अनुमान लगाना तथा अपने वित्तीय निष्पादन पर इनसे न्यूनतम प्रभाव होने की व्यवस्था करना है। कम्पनी का प्रमुख बाजार जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम है। कम्पनी के सम्मुख क्रेडिट जोखिम मुख्यतः वैयक्तिक ग्राहकों की विशिष्टता से प्रभावित होता है।

30 वित्तीय लिखत - उचित मूल्यन एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii. जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम से वह जोखिम अभिप्रेत है जो प्रतिपक्षकार द्वारा अपने संविदागत दायित्वों को पूरा न करने के कारण होता है जिससे कम्पनी को वित्तीय घाटा होता है। क्रेडिट जोखिम की उत्पत्ति ग्राहकों, बैंकों के साथ नकदी एवं नकदी समतुल्य, सुरक्षा एवं ऋण के संव्यवहारों से होती है।

कम्पनी के क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए कम्पनी ने अपने ग्राहकों तथा अन्यो से प्राप्यों के संबंध में क्रेडिट नीति स्थापित की है। व्यापार प्राप्यों की ऐसी प्रमुख राशियां, जो एक से अधिक वर्षों से प्राप्त नहीं हुई हैं, सरकार / सरकारी विभागों, सरकारी संगठनों से प्राप्य हैं जिनके संबंध में कम्पनी के सम्मुख ऐसे प्राप्यों से संबंधित किसी प्रकार का क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्यों के संबंध में अधिक नामे रेहन जमा तथा बैंक गारंटी के माध्यम से प्रतिभूत हैं जिससे क्रेडिट जोखिम कम हुआ है।

कुछ मामलों में ग्राहकों को बाजार स्थितियों उनके पूर्व भुगतान इतिहास के आधार पर क्रेडिट दिया जाता है। संविदागत उपबंधों, आदि एवं अन्य सूचकों के गुणक खंडों के पश्चात वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता हानि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष 3,36,497.77 लाख रुपए (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 1,78,885.36 लाख रुपए) है। यह बैंकों में चालू खाता शेष, कम्पनी द्वारा अग्रिम एवं निष्पादन के प्रति ग्रहणाधिकार के रूप में प्राप्त बैंक गारंटी के प्रति रखे गए जमा के मामलों के अलावा 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले सावधी जमा हैं। अधिकांश सावधी जमा राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे गए हैं तथा शेष जमा ऐसे निजी अनुसूचित बैंकों में जिनकी क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल) रेटिंग के आधार पर ए+1 रेटिंग आंकी गई है।

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम नगण्य है क्योंकि इनमें से अधिकांश सरकारी विभागों / पार्टियों से प्राप्य हैं।

31. वित्तीय लिखत - उचित मूल्यन एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii. नकदी जोखिम

नकदी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो कम्पनी के सम्मुख तब व्याप्त हो सकता है जब कम्पनी को अपनी वित्तीय देयताओं से संबंधित दायित्वों की पूर्ति नकदी तथा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोग से करने में कठिनाई होती है अथवा यह एक ऐसा जोखिम जिसमें कम्पनी के सम्मुख अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की उत्पत्ति में कठिनाई होती है। कम्पनी की अभिमुखता अपनी नकदी क्षमता का यथासंभव बनाए रखने का सुनिश्चय करते रहने की है जिसके कि कम्पनी के पास, सामान्य तथा बाध्यकारी परिस्थितियों, दोनों में, जब कभी देय हो, अपनी देयताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो।

नकदी एवं नकदी समतुल्यों के लिए कम्पनी मूल स्रोत नकदी है तथा नकदी प्रवाह की उत्पत्ति परिचालनों से होती है। कम्पनी के किसी प्रकार के बैंक ऋण नहीं हैं। कम्पनी का ऐसा मानना है कि इसकी कार्यशील पूंजी कम्पनी की चालू अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, कम्पनी के सम्मुख किसी प्रकार का नकदी जोखिम व्याप्त होने की संभावना नहीं है।

नकदी जोखिम के प्रति अरक्षितता

रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। ये राशियां सकल एवं गैर छूट प्राप्त हैं तथा इनमें अनुमानित ब्याज भुगतान को शामिल किया है तथा निवल किए जाने के समझौते के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

(राशि रुपए लाख में)

संविदागत नकदी प्रवाह

31 मार्च, 2023

	वहन राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं					
गैर - चालू					
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	2,657.85	-	2,657.85	-	-
चालू					
व्यापार प्राप्य	76,811.84	76,811.84	-	-	-
व्ययों के लेनदार	29.05	29.05	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्यो से अग्रिम	1,43,683.96	1,43,683.96	-	-	-
रेहन जमा	1,419.79	1,419.79	-	-	-
आईसीआरडी [इनसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपोजिट]	1,250.90	1,250.90	-	-	-
एसएससी अग्रिम	449.68	449.68	-	-	-
आस्थगित आय देयता	889.06	889.06	-	-	-
अन्य देयता	24.50	24.50	-	-	-
अग्रिम राजस्व	4,036.14	4,036.14	-	-	-
	2,31,252.78	2,28,594.93	2,657.85	-	-

संविदागत नकदी प्रवाह

31 मार्च 2022

(राशि रुपए लाख में)

	वहन राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं					
गैर - चालू					
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	2,633.19	-	2,633.19	-	-
चालू					
व्यापार प्राप्य	6,23,081.56	6,23,081.56	-	-	-
व्ययों के लेनदार	5.34	5.34	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्यो से अग्रिम	2,032.62	2,032.62	-	-	-
रेहन जमा	1,372.22	1,372.22	-	-	-
आईसीआरडी [इनसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपोजिट]	1,226.05	1,226.05	-	-	-
एसएससी अग्रिम	-	-	-	-	-
आस्थगित आय देयता	117.20	117.20	-	-	-
अन्य देयता	58.02	58.02	-	-	-
अग्रिम राजस्व	355.62	355.62	-	-	-
	6,30,881.83	6,28,248.64	2,633.19	-	-

32. वित्तीय लिखत - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iv. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार मूल्य परिवर्तित होते हैं u जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर तथा ब्याज दर u इनसे कम्पनी की आय अथवा वित्तीय लिखतों के धारण का मूल्य प्रभावित होता है। बाजार जोखिम वित्तीय लिखतों के प्रति संवेदशील प्रत्येक बाजार जोखिम से संबंधित है जिनमें विदेशी मुद्रा प्राप्य एवं देय तथा दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं। कम्पनी के सम्मुख बाजार जोखिम की व्यापकता मुख्यतः ब्याज दर जोखिम के प्रति है। इस प्रकार, बाजार जोखिम की व्यापकता निवेश एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित है। बाजार जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रति अधिक व्याप्त जोखिम से बचाव करना है।

मुद्रा जोखिम

कम्पनी के प्रति उत्पादों तथा सेवाओं का आयात एवं निर्यात विदेशी मुद्रा में किए जाने से संबंधित मुद्रा जोखिम है। कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए है।

कम्पनी के सम्मुख व्याप्त मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डेटा का सार संक्षेप निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				भारतीय रुपए में राशि लाख में			
	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)
यूरो (ईयूआर)	15,17,505.00	29,66,100.00	14,613.74	(14,63,208.74)	1,359.80	2,657.85	13.10	(1,311.15)
यूएस डालर (यूएसडी)	2,30,72,764.17	-	1,50,28,783.62	80,43,980.55	18,969.71	-	12,356.20	6,613.51

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				भारतीय रुपए में राशि लाख में			
	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)
यूरो (ईयूआर)	1,35,59,880.89	29,66,100.00	-	1,05,93,780.89	11,479.78	2,511.10	-	8,968.68
यूएस डालर (यूएसडी)	4,34,785.62	-	2,13,16,588.94	(2,08,81,803.32)	329.60	-	16,159.49	(15,829.89)

संवेदी विश्लेषण

भारतीय रुपए, यूएस डालर, यूरो तथा अन्य मुद्राओं के संबंध में वर्ष के अंत औचित्यपरक संभावित सुदृढ़ता (दुर्बलता) विदेशी मुद्रा वर्ग के वित्तीय लिखतों के मापन से प्रभावित हो सकती है तथा प्रभावित इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि की राशियों को नीचे दर्शाया गया है। इस विश्लेषण में ऐसा माना गया है कि ब्याज दरों के अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर हैं तथा उनके संभावित बिक्री एवं क्रय के प्रभाव को विचार में नहीं लिया गया है।

(राशि रुपए लाख में)

	लाभ अथवा हानि		इक्विटी, कर निवल	
	सुदृढ़ता	दुर्बलता	सुदृढ़ता	दुर्बलता
31 मार्च 2023				
यूएसडी (1% मूवमेंट)	66.14	(66.14)	49.49	(49.49)
यूरो (1% मूवमेंट)	(13.11)	13.11	(9.81)	9.81
31 March 2022				
यूएसडी (1% मूवमेंट)	(158.30)	158.30	(118.46)	118.46
यूरो (1% मूवमेंट)	89.69	(89.69)	67.11	(67.11)

	वर्ष के अंत की दर	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
यूएस डालर	82.22	75.81
यूरो	89.61	84.66

33. खंड संबंधी सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463(ई) के माध्यम से मात्राओं एवं संबंधित मूल्यों सहित प्रत्येक वर्ग की वस्तुओं एवं से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण किए जाने से छूट प्रदान की गई है तथा उत्पादों एवं इनके परिचालन के क्षेत्र की संवेदी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक 108 - परिचालनात्मक खंड के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति चालू एवं पूर्व वित्तीय वर्षों के संबंध में नहीं की गई है।

34. संबंधित पक्षकार - इंड एस -24

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन कम्पनी है। यह कम्पनी सरकार की एक इकाई है तथा इसे पैरा 18 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण की प्रस्तुति से छूट प्राप्त है।

कम्पनी द्वारा इंड एस 24 के पैरा 26 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण किया गया है। संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

नियंत्रण इकाई **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध (31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए)	संबंध (31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए)
श्री राधाकृष्णन डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31.7.2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अरुणाचलम ए	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	01.08.2021 से निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
श्रीमती शनमुगा प्रिया	10.03.2023 से कम्पनी सचिव	-
श्री नारायणन जी	-	31.07.2021 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती रेणु	31.08.2022 तक कम्पनी सचिव	कम्पनी सचिव

संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहारों की सूची

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	(31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए)	(31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन		
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक	110.48	136.66
अन्यों को पारिश्रमिक	51.76	70.69
	162.24	207.35
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान बिक्री से राजस्व	-	-
वर्ष के दौरान उत्पाद/सेवाओं के लिए व्यय की लागत	1,25,922.66	40,442.35
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए अनुबंधित सेवाओं से राजस्व	-	-
	1,25,922.66	40,442.35

संबंधित पक्षकारों से बकाया शेष की सूची

विवरण	31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतरिक्ष विभाग, भारत को देय	-	-
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को देय	1.20	18.12

35. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी द्वारा नीतिगत रूप से अपने निवेशकों, ऋणदाताओं तथा बाजार विश्वास को बनाए रखने तथा भावी व्यवसाय विकास के लिए सुदृढ़ पूंजी आधार का अनुरक्षण किया जाता है। प्रबंधन द्वारा पूंजी से प्राप्त प्रतिफल एवं सामान्य शेयरधारकों के लाभांश के स्तर की निगरानी की जाती है।

कम्पनी द्वारा 'समायोजन निवल नामे' के उपयोग से 'इक्विटी समायोजन' के लिए पूंजी की निगरानी की जाती है। इस उद्देश्य से समायोजित निवल नामे को कुल देयताओं घटा नकद एवं नकद समतुल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। समायोजित इक्विटी में हेज रिजर्व में संचित राशियों के अलावा इक्विटी के सभी घटक शामिल होते हैं।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के इक्विटी अनुपात में समायोजित निवल नामे निम्नानुसार हैं:

राशि रुपए लाख में

	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
कुल देयताएं	2,54,167.44	6,49,190.66
घटाएं : नकद एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष :	3,36,497.77	1,78,885.36
समायोजित निवल नामे	(82,330.33)	4,70,305.29
कुल इक्विटी	6,60,640.27	1,44,177.47
घटाएं : हेज रिजर्व	-	-
समायोजित इक्विटी	6,60,640.27	1,44,177.47
इक्विटी अनुपात में समायोजित निवल नामे	(0.12)	3.26

कम्पनी के कार्यों की विभिन्न स्थितियों को विचार में रखते हुए अनुपात संतोषजनक है।

36 कर्मचारी हितलाभ से संबंधित परिसम्पतियां एवं देयताएं

लेखांकन नीति के लिए नोट 3 देखें

i. उपदान

राशि रुपए लाख में

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
चालू सेवा लागत	2.09	2.33
लाभ एवं हानि में स्वीकृत निवल आवधिक लाभ लागत	2.27	2.33
अन्य व्यापक (आय)/हानि	(0.12)	-
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (डीबीओ)	4.48	2.33
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (एफवीए)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पतियां / देयताएं	(4.48)	(2.33)
इंड एस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर	7.52%	7.58%
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (निवल परिसम्पतियां)/देयताएं		

क. अन्य व्यापक आय में स्वीकृति पुनर्मापन प्रभाव

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
अन्य व्यापक आय में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि (इंड एस 19 पैरा 75(घ))	(0.12)	-
डीबीओ में वित्तीय अनुमानों में बदलाव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.04	-
डीबीओ के अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.16)	-
ख. परिभाषित हितलाभ लागत (पैरा 120)		
लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत (इंड एस 19 पैरा 57 सी)	2.27	2.33
अन्य व्यापक आय में स्वीकृति पुनर्मापन प्रभाव; पैरा 120 सी	(0.12)	-
कुल परिभाषित हितलाभ लागत (पैरा 120 क,ख तथा ग)	2.15	2.33
परिसम्पति के रूप में स्वीकृत न की गई राशि (सीमा पैरा 64(ख) में)	-	-
निवल व्यय	2.15	2.33

पैरा 144 (इंड एस) -19 के अनुसार छूट दर - - 7.58%

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पतियां / (देयताएं)	4.48	2.33
गैर निधियन दायित्व का वर्तमान मूल्य		

निधियन स्थिति [(न्यूनता)] {(पैरा 64(क))}	(4.48)	(2.33)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	-
उपयोग दायित्व का वर्तमान मूल्य	(4.48)	(2.33)
निधियन अनुपात	-	-

अनुमान: इंड एस19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर : 7.52% (पिछले वर्ष 7.58%)

क. चालू एवं गैर-चालू पर द्विभाजन	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पीवीओ (गैर निधियन योजना)		
चालू	0.01	0.00
गैर-चालू	4.47	2.33

अवधि को समाप्त डीबीओ में परिवर्तन (पैरा 140(क)(ii) तथा 141)		
चालू सेवा लागत	2.09	2.33
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (बंद)	4.48	2.33

डीबीओ की अवधि की भारत औसत	16.09	17.85
---------------------------	--------------	--------------

नीचे प्रस्तुत देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल की सूचना

संभावित हितलाभ दायित्व	4.48	2.33
संचयी हितलाभ दायित्व	1.78	0.90

पांच वर्षों के दौरान भुगतान	31 मार्च, 2023	
	छूट प्राप्त मूल्य / वर्तमान मूल्य	गैर छूट प्राप्त मूल्य / वास्तविक मूल्य
वर्ष (I)	0.006	0.006
वर्ष (II)	0.005	0.006
वर्ष (III)	0.005	0.006
वर्ष (IV)	0.005	0.007
वर्ष (V)	0.005	0.007
अगले 5 वर्ष में भुगतान (6-10 वर्ष)	0.027	0.047
दस से अधिक वर्षों में भुगतान	2.295	9.866
31/03/2022 की स्थिति के अनुसार निहित हितलाभ दायित्व		-

निवल तुलन पत्र देयता का पुनः समाधान	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पैरा 64(ख) के अलावा अवधि में निवल अवधि हितलाभ (लागत)/ आय	(2.27)	(2.33)
अवधि के अंत में (उपार्जित)/ पूर्व चुकता हितलाभ लागत (समायोजन पूर्व)	(4.60)	(2.33)
वर्ष के अंत में स्वीकृत संचयी अन्य व्यापक आय	0.12	
अवधि के अंत में स्वीकृत निवल तुलन पत्र परिसम्पत्तियां / देयताएं	(4.48)	(2.33)

नियोक्ता व्यय के घटक		-
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	4.48	2.33

मूल्यांकन अवधि देयताओं में निवल वृद्धि	2.15	2.33
लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	2.15	2.33
चालू वर्ष में लाभ एवं हानि	2.27	2.33
चालू वर्ष में अन्य व्यापक आय	(0.12)	-
धारा 64बी का प्रभाव	-	-
योग	2.15	2.33
डीबीओ पर ब्याज व्यय		
कुल निवल ब्याज		
मूल्यांकन के अनुसार दबाव परीक्षण का प्रकटीकरण		
(देयता) तुलन पत्र में स्वीकृत	(4.48)	(2.33)

परिदृश्य	डीबीओ में % वृद्धि	देयता	डी.बी.ओ. में कमी या वृद्धि
छूट दर + 100 आधार प्वाइंट	-14%	3.84	(0.637)
छूट दर - 100 आधार प्वाइंट	18%	5.27	0.789
वेतन वृद्धि+ 100 आधार प्वाइंट	17%	5.24	0.761
वेतन वृद्धि 100 आधार प्वाइंट	-14%	3.85	(0.626)
संघर्षण दर + 100 आधार प्वाइंट	-3%	4.35	(0.131)
संघर्षण दर - 100 आधार प्वाइंट	3%	4.61	0.134
मृत्यु दर 10% अधिक	-	4.48	0.000
कोई सीमा न होने का प्रभाव	-	4.48	-

उपरोक्त विश्लेषण की तैयारी में प्रयुक्त विधियों और पुर्वानुमानों में पिछली अवधि से कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि आधार दरों में परिवर्तन हुआ है।

प्रमुख अनुमान	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर (इंड एएस 19 धारा 83)	7.52%	7.58%
परिसम्पत्तियों पर संभावित लाभ	-	-
वेतन वृद्धि	7%	7%
संघर्षण दर	5%	5%

आयु	मृत्यु दर
20	0.000924
30	0.000977
35	0.001202

जनसांख्यिकी अनुमान

मृत्यु	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम
अक्षमता	5% मृत्यु दर की दर
प्रत्याहार	5.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60

ii. छुट्टी नकदीकरण

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
चालू सेवा लागत	8.39	5.30
लाभ एवं हानि में स्वीकृत निवल आवधिक हितलाभ लागत	5.85	5.80
अन्य व्यापक आय/हानि		

परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (डीबीओ)	12.58	6.73
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (एफवीए)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पतियां / देयताएं	(12.58)	(6.73)
इंड एएस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर		

अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (निवल परिसम्पतियां) / देयताएं

क. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनर्मापन प्रभाव

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
अन्य व्यापक में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि (इंड एएस 19 पैरा 57(घ))	-	-
डीबीओ में वित्तीय अनुमानों के परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.12	(0.41)
डीबीओ में अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.17)	0.85
ख. परिभाषित हितलाभ लागत (पैरा 120)	-	-
लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत (इंड एएस 19 पैरा 57 ग)	5.85	5.80
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनर्मापन प्रभाव ; पैरा 120ग	-	-
कुल परिभाषित हितलाभ लागत (120 क,ख तथा ग)	5.85	5.80
परिसम्पति के रूप में स्वीकृत न की गई राशि (सीमा पैरा 64(ख))	-	-
निवल व्यय		
(इंड एएस) के पैरा 144 के अनुसार छूट दर - 7.52% (पिछले वर्ष 7.58%)		

तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पति/(देयता)	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
निधियन न प्राप्त दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.58	6.73
निधियन स्थिति [(न्यूनता)] {(पैरा 64 (क)}	(0.00)	(6.73)
निवल देयता	0.00	(6.73)
तुलन पत्र में स्वीकृत	(0.00)	(6.73)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	11.58	6.20
उपयोग दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.00	0.53
निधियन अनुपात		
अनुमान : इंड एएस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर : 7.52% (पिछले वर्ष 7.58%)		

क. चालू एवं गैर-चालू पर द्विभाजन	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पीवीओ (गैर निधियन योजना)		
चालू	1.59	0.86
गैर-चालू	11.00	5.87

अवधि को समाप्त डीबीओ में परिवर्तन (पैरा 140(क)(ii) तथा 141)	-	-
चालू सेवा लागत	8.39	5.30
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (अथ)	0.00	0.93
ब्याज लागत	0.51	0.07
तत्काल स्वीकृति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.05)	0.43
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (बंद)	12.58	6.73
डीबीओ की भारित औसत अवधि	16.09	17.85

देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से संबंधित सूचना निम्नानुसार है

संभावित हितलाभ दायित्व	10.67	5.04	1.91	1.69
संचित हितलाभ दायित्व	-	-	-	-

पांच वर्ष में भुगतान	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	अर्जित छुट्टी का छूट दर मूल्य / वर्तमान मूल्य	अर्जित छुट्टी का छूट न प्राप्त मूल्य / वास्तविक मूल्य	अर्द्ध वेतन छुट्टी का छूट दर मूल्य / वर्तमान मूल्य	अर्द्ध वेतन छुट्टी का छूट न प्राप्त मूल्य / वास्तविक मूल्य
वर्ष (I)	0.54	0.58	0.09	0.10
वर्ष (II)	0.51	0.59	0.09	0.10
वर्ष (III)	0.48	0.60	0.08	0.10
वर्ष (IV)	0.45	0.61	0.08	0.11
वर्ष (V)	0.43	0.62	0.07	0.11
अगले 5 वर्षों में भुगतान (6-10 वर्ष)	1.72	3.07	0.29	0.53
10 से अधिक वर्षों में भुगतान	6.55	42.22	1.20	7.28
31/03/2022 को निहित हितलाभ दायित्व				

निवल तुलन पत्र देयता का पुनः समाधान	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पैरा 64(ख) के अलावा अवधि के लिए निवल अवधि हितलाभ (लागत)/आय	(12.58)	(6.73)
अवधि के प्रारंभ में (उपार्जित)/पूर्व चुकता हितलाभ लागत(समायोजन पूर्व)	(6.73)	(0.93)
अवधि में निवल आवधिक हितलाभ (लागत)	(5.85)	(5.80)
अवधि के अंत में (उपार्जित)/पूर्व चुकता हितलाभ लागत(समायोजन पूर्व)	(12.58)	(6.73)
अवधि के अंत में स्वीकृत निवल तुलन पत्र परिसम्पत्ति/देयताएं	(12.58)	(6.73)
नियोक्ता व्यय के घटक	-	-
चालू सेवा लागत	8.39	5.30
कुल सेवा लागत	8.39	5.30
डीबीओ पर ब्याज व्यय	0.51	0.07
कुल निवल ब्याज	0.51	0.07
तत्काल स्वीकृत (लाभ)/हानियां - अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	(3.05)	0.43
लाभ एवं हानि में शामिल परिभाषित हितलाभ लागत	0.93	5.80

दबाव परीक्षण के मूल्यांकन के प्रकटीकरण

परिदृश्य	अर्जित छुट्टी के संबंध में डीबीओ में % वृद्धि	अर्जित छुट्टी से संबंधित देयता	अर्जित छुट्टी के डीबीओ में कमी अथवा वृद्धि	अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए डीबीओ में % वृद्धि	अर्द्ध वेतन छुट्टी से संबंधित देयता	अर्द्ध वेतन छुट्टी के डीबीओ में कमी अथवा वृद्धि
छूट दर + 100 आधार प्वाइंट	-12.72%	9.31	(1.357)	-12.52%	1.67	(0.239)
छूट दर - 100 आधार प्वाइंट	16.13%	12.39	1.721	15.78%	2.21	0.302
वेतन वृद्धि + 100 आधार प्वाइंट	15.45%	12.32	1.649	15.13%	2.20	0.289

वेतन वृद्धि 100 आधार प्वाइंट	-12.20%	9.35	(1.320)	-12.20%	1.68	(0.233)
संग्रहण दर + 100 आधार प्वाइंट	0.25%	10.70	0.031	0.25%	1.92	0.005
संग्रहण दर - 100 आधार प्वाइंट	-0.25%	10.64	(0.031)	-0.25%	1.91	(0.005)
मृत्यु दर 10% अधिक	0.00%	10.67	0.000	0.00%	1.91	0.000
सीमा न होने का प्रभाव						

37. कॉर्पोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

राशि लाख रुपए में

विवरण	31.3.2023 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.3.2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान व्यय के लिए निर्धारित राशि	494.20	231.25
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (वास्तविक भुगतान के आधार पर न की हितकारिता के लिए)		
(i) स्वास्थ्य एवं पोषण	48.44	49.27
(ii) स्वच्छता	22.50	5.84
(iii) सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं कौशल विकास	20.00	6.50
(iv) संवहनीय विकास	10.00	3.29
(v) आकांक्षी जिला	9.00	6.00
(vi) शिक्षा	-	20.68
(vii) अन्य	12.50	3.63
अलग बैंक खाते में रखी गई प्रतिबद्ध राशि	248.19	132.08
निर्दिष्ट निधि में अंतरित / अंतरण की जाने वाली राशि	123.57	3.96
	494.20	231.25

राशि लाख रुपए में

	विवरण	31.3.2023 को समाप्ति चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.3.2022 को समाप्ति पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
38	आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं : (जिसके संबंध में प्रावधान नहीं है) i) आकस्मिक देयता: क) दावे जिन्हें कम्पनी ने नामे के रूप में स्वीकार नहीं किया ख) बैंक द्वारा सावधि जमा के प्रति प्रतिभूत बैंक गारंटी के लिए उत्पन्न दायित्व के परिणामस्वरूप ग) अन्य बकाया साख पत्र एवं गारंटियां: घ) अन्य धन जिनके प्रति कम्पनी की आकस्मिकता देय है: i) प्रतिबद्धताएं: (क) पूंजी लेखे में से निष्पादन के लिए शेष अनुबंधों की प्रावधान न की गई अनुमानित राशि, (ख) अन्य प्रतिबद्धताएं	शून्य 14,660.87 शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य 20,191.39 शून्य शून्य शून्य
	कम्पनी के मतानुसार आकस्मिकता के रूप में विचार में ली गई देयता से संबंधित संसाधनों का कोई बहिर्प्रवाह नहीं होगा।		
39	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अलावा परिसम्पतियों एवं गैर-चालू निवेशों से व्यवसाय के सामान्य क्रम के प्रतिफल का उल्लेख निदेशक के मतानुसार न्यूनतम समान राशि पर किया गया है।	निदेशक के मतानुसार ऐसी परिसम्पतियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति का मूल्य कम से कम उस मूल्य पर होगा जिस राशि का उल्लेख लेखा बहियों में किया गया है।	निदेशक के मतानुसार ऐसी परिसम्पतियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति का मूल्य कम से कम उस मूल्य पर होगा जिस राशि का उल्लेख लेखा बहियों में किया गया है।

40. वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग अन्य नोट**40.1 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण :**

- क. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), भारत सरकार (जीओआई) के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है।
- ख. कम्पनी के कार्यबल में कार्य व्यवस्था के अंतर्गत इसरो से तथा कम्पनी की अपनी वेतन सूची में अधिकारी कार्यरत हैं। कम्पनी में इसरो से तैनात कार्यबल के लिए इसरो की ओर से किए गए वेतन व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें वास्तविक आधार पर की जाती है। उनके संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान इसरो द्वारा वहन किया जाता है।
- ग. लेखांकन मानक 18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार श्री राधाकृष्णन डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुणाचलम ए, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति), दिनांक 31.8.2022 तक श्रीमती के.रेणू, कम्पनी सचिव तथा दिनांक 10.3.2023 से श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया, कम्पनी सचिव हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) के लिए पारिश्रमिक एवं कर्मचारी हितलाभ की प्रतिपूर्ति तथा एवं कम्पनी सचिव के वेतन के अलावा इन पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं हुए हैं।

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध
1) अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण स्वामित्व कम्पनी
2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान	अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक विंग
3) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
क) राधाकृष्णन डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख) श्री अरुणाचलम ए	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
ग) श्रीमती शनमुगा प्रिया	कम्पनी सचिव, 10.3.2023 से
घ) श्रीमती रेणु के	कम्पनी सचिव, 31.8.2022 तक

एस-18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार: कृपया नोट संख्या 34 में प्रस्तुत एक अलग देखें।

40.2 कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों से 31 मार्च 2023 तक शेष राशि के संबंध में पुष्टि दिए जाने का अनुरोध किया गया है जो कि ऐसे ग्राहकों से नहीं किया गया है जिनके साथ अनुबंध समाप्त हो गए हैं अथवा तुलन पत्र के निर्माण से पूर्व बकाया की प्राप्ति हो गई है तथा कुछ ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। प्रबंधन के मतानुसार, शेष की पुष्टि न प्राप्त होने से लाभ एवं हानि विवरण पर किसी प्रकार का सामग्रीगत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

40.3 कॉर्पोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कम्पनी से 494.20 लाख रुपए (पिछले वर्ष 231.45 लाख रुपए) का सकल व्यय अपेक्षित था।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि: कृपया अलग से प्रस्तुत नोट संख्या 37 देखें।

40.4 वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 2 समर्पित प्रेक्षण वाहनों से संबंधित प्रेक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित अद्यतन समझौता ज्ञापन के अनुसार लागत अनुमान तथा अद्यतन अनुमानित लागत में भिन्नता प्रभारित की है।

40.5 प्रस्तावित लाभांश:

विवरण	31.3.2023 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2022 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े
(क) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरण हेतु प्रस्तावित लाभांश की राशि	निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से छूट प्रस्तावित है ***	निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से छूट प्रस्तावित है ***
(ख) प्रति शेयर लाभांश	लागू नहीं **	लागू नहीं ***

** एनसिल के निदेशक मंडल द्वारा 25 जून 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए (i) लाभांश का भुगतान (ii) शेयरों का वापस क्रय (iii) बोनस शेयर जारी करना (iv) शेयरों का विखंडन से छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से किए जाने के संबंध में चर्चा की गई थी तथा तदनुसार अनुमोदन दिया गया था।

*** एनसिल के निदेशक मंडल द्वारा 7 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक में विस्तृत चर्चा के पश्चात वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए (i) लाभांश का भुगतान (ii) शेयरों का वापस क्रय (iii) बोनस शेयर जारी करना से संबंधित प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से किए जाने का अनुमोदन दिया गया था।

- 40.6** 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा राशि में तुलन पत्र की तिथि के 12 भीतर परिपक्व होने वाली 9854.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 552.26 लाख रुपये) शामिल हैं तथा बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने तक इसका स्वयंमेव नवीकरण होता है।
- 40.7** कम्पनी द्वारा पक्षकारों के साथ नोवेशन अनुबंध किए गए हैं तथा तदनुसार, अनुबंध के संबंध में पूर्व पक्षकार की ओर से किए आंशिक निष्पादन का निष्पादन पूरा करने के लिए कम्पनी ने समर्पित प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान की हैं। उक्त अनुबंध के अनुसार, अनुबंध के अंतर्गत कम्पनी को प्राप्त होने वाला राजस्व अकेले कम्पनी का ही राजस्व होगा। तदनुसार, राजस्व की स्वीकृति की जा रही है।
- 40.8** प्रक्षेपण सेवा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ग्राहकों से किसी लागत की वसूली के बिना, इसरो के प्रक्षेपण वाहनों के उपयोग से उपग्रह प्रक्षेपणों की समर्पित सेवाओं के लिए, मृत्यु तथा तृतीय पक्षकारों की सम्पत्ति की हानि सहित शारीरिक चोट के प्रति विधिक देयता के लिए स्व-बीमा किए जाने के लिए उत्तरदेयी है। इसरो द्वारा प्रत्येक प्रक्षेपणों के संबंध में स्व-बीमा की नीति का अनुसरण किया जाता है, इस प्रकार कम्पनी से तृतीय पक्षकार देयता (टीपीएल) बीमा करवाए जाने की अपेक्षा नहीं है।
- 40.9 लाभ एवं हानि विवरण के निर्माण के सामान्य अनुदेशों से संबंधित अतिरिक्त सूचना**
- 5 (ii) (क) (1) तथा (2) एवं 5(iii) - एनसिल एक विनिर्माण कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार यह लागू नहीं है।
- 5(viii)(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा (I) कच्चे माल; (II) कंपोनेंट्स एवं अतिरिक्त पूर्जों (III) पूंजी सामान; के संबंध में सीआईएफ आधार पर की गई गणना के अनुसार आयात मूल्य : शून्य
- 5(viii)(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई सभी आयातित कच्चे माल, अतिरिक्त पूर्जों एवं कंपोनेंट्स का कुल मूल्य तथा समान रूप में उपभोग की गई स्वदेशी कच्चे माल, अतिरिक्त पूर्जों एवं कंपोनेंट्स का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में से प्रत्येक का प्रतिशत : शून्य
- अनिवासी शेरधारकों की कुल संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या, जिनके लिए लाभांश देय था तथा लाभांश से संबंधित वर्ष के उल्लेख के साथ वर्ष के दौरान लाभांश के प्रति विदेशी मुद्रा में विप्रेषित राशि : शून्य
- 5(viii)(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान तकनी जानकारी, व्यावसायिक परामर्श शुल्क एवं ब्याज के रूप में व्यय की गई विदेशी मुद्रा : शून्य
- 5(viii)(ड) विदेशी मुद्रा में निम्नलिखित शीर्षकों, नामतः I. तकनीकी ज्ञान, II. व्यावसायिक एवं परामर्शी शुल्क तथा ब्याज एवं लाभांश, के अंतर्गत वर्गीकृत आय: शून्य
- 40.10** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 2437(ई) के माध्यम से निम्नलिखित पैराग्राफों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण के निर्माण से संबंधित सामान्य अनुदेशों की अतिरिक्त सूचना का प्रकटीकरण किए जाने के प्रति छूट प्रदान की गई है:
- 5(viii) (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान रायल्टी तथा अन्य मामलों के लिए व्यय की गई विदेशी मुद्रा;
- 5(viii)(ड) संबंधित प्रकृति के उल्लेख के साथ निम्नलिखित शीर्षकों, नामतः I. एफओबी के आधार पर आकलित वस्तुओं का आयात II. रायल्टी, IV. अन्य आय, के रूप में वर्गीकृत विदेशी मुद्रा आय,

40.11 वर्ष के अंत में किए गए मुद्रा संव्यवहारों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष के अंत में किए गए मुद्रा संव्यवहार [रुपए लाख में]	नामे / जमा	लाभ एवं हानि विवरण
बकाया देयताओं एवं परिसम्पतियों के संबंध में	74.32	नामे	अन्य व्यय में नामे
	(163.49)	जमा	(अन्य आय में जमा)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं, "सीआर" का अर्थ "जमा" है तथा "डीआर" का अर्थ "नामे" है।

40.12 अंतरिक्ष विभाग द्वारा अपने 10 इन-आर्बिट परिचालनात्मक संचार उपग्रह यथा जीसेट - -8, 10, 12R,14, 15,16, 17, 18, 30 तथा 31 का अंतरण दिनांक 4 जुलाई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एनसिल को किए जाने के अनुमोदन की सूचना दी गई है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अंतरण मूल्य (एतद्द्वारा मूल्य के रूप में भी संदर्भित) का निवर्हन वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी शेयरों द्वारा किया गया था। इक्विटी का निर्गम चूंकि केवल उत्तरगामी प्रभाव से ही संभव है अतः उपग्रह परिसम्पतियों के मूल्य का एनसिल को किया गया अंतरण वित्तीय वर्ष 2021-22 की चालू देयताओं के अंतर्गत व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कम्पनी द्वारा उपग्रह का बीमा नहीं करवाया गया है क्योंकि यह पहले से ही एक से अधिक अवधि से परिचालनात्मक हैं।

अंतरित किए उपग्रहों का अनुरक्षण मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (एमसीएफ)/इसरो, हसन द्वारा ही जारी रखा गया है। कम्पनी द्वारा उन्हें देय अनुरक्षण लागत सहित उपबंधों एवं शर्तों के लिए यथोचित अनुबंध किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। अनुबंध की प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है जिसके कारण अंतरिक्ष विभाग जारी उपग्रह परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार ही अनुरक्षण लागत के अनुसार ही प्रक्रिया की जा रही है।

40.13 कम्पनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के पास यूरो 16,350,000 (पिछले वर्ष 23,850,000) तथा यूएस डालर 12195 (पिछले वर्ष शून्य) के प्रति जारी बैंक गारंटी के प्रति 19,776.16 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2021-22 में 22,738.95 लाख रुपए) की प्रतिभूति के रूप में सावधी जमा का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा कम्पनी ऐसे सावधी जमा से कार्ड दर पर ब्याज कमा रही है। वर्तमान में, लेखांकन मानकों में परिभाषित 'प्रावधान' की कोई स्थिति नहीं है तथा तदनुसार, प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा नहीं है। बैंक गारंटी के मूल्य के लिए निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रयुक्त प्रति यूरो की विनिमय दर 89.6076 रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 84.6599 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति यूएस डालर के लिए प्रयुक्त दर 82.219 है।

40.14 स्थिर परिसम्पतियों के अलावा किसी भी परिसम्पति एवं गैर चालू निवर्शों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्य मूल्य निदेशक मंडल के मतानुसार:

निदेशक मंडल का यह मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्य मूल्य कम से कम उस राशि के समान होगा जिसका उल्लेख लेखों में किया गया है।

40.15 भारतीय लेखा मानक इंड एस 38 के अंतर्गत प्रकटीकरण: अमूर्त परिसम्पतियां

(क)	अमूर्त परिसम्पतियों का वर्ग	कम्प्यूटर साफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसम्पतियों की प्रकृति	कम्प्यूटर साफ्टवेयर का क्रय
(ग)	उपयोज्यता काल के लिए प्रयुक्त परिशोधन दर	उपयोग के लिए साफ्टवेयर का क्रय किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तथा विकसित साफ्टवेयर के लिए स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष
(घ)	परिशोधन विधि प्रयुक्त	सीधी रेखा विधि
(ङ)	लाख रुपए में सकल वहन राशि	36.60
(च)	लाख रुपए में संचित परिशोधन	6.95
(छ)	परियोजना के प्रारंभ तथा अंत में संचित अक्षमता हानि	शून्य
(ज)	अवधि के प्रारंभ तथा अंत में वहन राशि का पुनःसमाधान	नोट 3(क) तथा 3(ख) के अनुलग्नक में की गई प्रस्तुति के अनुसार

(i)	आवर्धन, उनका अलग से उल्लेख जो आंतरिक रूप से विकसित हैं तथा समामेलन के माध्यम से हैं	32.66 लाख रुपए के साफ्टवेयर का क्रय
(ii)	उपयोग से हटाए जाने तथा निपटान	शून्य
(iii)	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि में स्वीकृत अक्षमता हानियां, (यदि कोई हों)	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि में रिवर्स की गई अक्षमता हानियां, (यदि कोई हों)	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत परिशोधन	6.24
(vi)	वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत मुद्रा का विनिमय प्रस्तुति की मुद्रा में किए जाने तथा विदेशी परिचालन का अंतरण कम्पनी की प्रस्तुति में किए जाने पर निवल विनिमय भिन्नता	शून्य
(vii)	वर्ष के दौरान वहन राशियों में अन्य परिवर्तन	शून्य

40.16 एनसिल द्वारा अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाले भवन से अपने कार्य किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग द्वारा अब तक भवन के लिए कोई किराया निर्धारित नहीं किया गया है। एनसिल ने चार्टर्ड इंजीनियर से किराए के मूल्य प्राप्त किए हैं तथा 23.5.2019 से उचित यथोचित देयता का निर्माण का निर्माण किया गया है जो कम्पनी द्वारा भवन में कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि है।

40.17 वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

40.17.1 अघोषित आय से संबंधित प्रकटीकरण

कम्पनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जिनका उल्लेख लेखा बहियों में न किया गया हो तथा जिनका त्याग किया गया हो अथवा 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारणों के लिए आय के रूप में प्रकटीकरण किया गया हो (जैसे अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक प्रावधान)

40.17.2 धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

कम्पनी के पास ऐसी कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है अथवा लंबित हो।

40.17.3 क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी का विवरण

कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

40.17.4 ऋण पर प्राप्त निधि तथा शेयर प्रीमियम का उपयोग

कम्पनी ने विदेशी इकाई ("निधियन पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कम्पनी द्वारा, (क) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा (ख) कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

40.17.5 कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्था" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी ("अंतिम लाभग्राहियों") अथवा (ख) अंतिम लाभग्राहियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

40.17.6 चालू परिसम्पतियों के प्रति प्रतिभूत ऋण : शून्य

40.18 अनुसूची III की अपेक्षाओं से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

40.18.1 विशिष्ट व्यक्तियों को ऋण अथवा अग्रिम (मांग पर प्रतिदेय अथवा पुनर्भुगतान के कोई उपबंध अथवा अवधि निर्दिष्ट किए बिना):

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं जिनके शेष (मांग पर प्रतिदेय अथवा पुनर्भुगतान के कोई उपबंध अथवा अवधि निर्दिष्ट किए बिना) बकाया हों (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शून्य)

40.18.2 बंद कम्पनियों के साथ संबंध:

कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष, तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की अवधि में भी, के दौरान बंद कम्पनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं।

40.18.3 कम्पनी क प्रति ऐसा कोई चार्ज अथवा संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अभी आरओसी में पंजीकृत न हो। उपर्युक्त प्रकार चार्ज तैयार किए जाने की स्थिति में उक्त चार्ज आरओसी, बेंगलुरु के पास सांविधिक अवधि के भी पंजीकृत किए जाएंगे।

40.18.4 कम्पनी ने कम्पनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा के खंड (87) के निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन किया है।

40.19 आंकड़ों को निकटतम लाख रूपए में राउंड ऑफ किया गया है तथा चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन / पुनःव्यवस्थित किया गया है।

40.20 वित्तीय विवरणों के लिए अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25.6.2023 को ये वित्तीय विवरण जारी किए जाने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स पाल एंड शंभोगे

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 002528S

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

के.आर.शंभोगे

साझेदार

सदस्यता संख्या 18578

आईसीएआई यूडीआईएन: 23018578BGUDZN2031

एस.शनमुगा प्रिया

कम्पनी सचिव

अन्नामलै अरुणाचलम

निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति

डीआईएन : 09262267

राधाकृष्णन दुरैराज

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 25.6.2023

अनुपात

31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्षों से संबंधित अनुपात निम्नानुसार है:

विवरण	गणक	विभाजक	31 मार्च को स्थिति		भिन्नता वृद्धि/ (घटत)	राजस्व भिन्नता के कारण
			2023	2022		
चालू अनुपात	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	1.88	0.52	265	वस्तु / सेवाओं, बैंक शेष के लिए अग्रिम भुगतान के कारण चालू परिसम्पतियों के वृद्धि होने से अनुपात में सुधार आया है।
नामे-इक्विटी अनुपात	कुल नामे	शेयरधारक इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
नामे सेवा कवरेज अनुपात	नामे सेवा के लिए उपलब्ध आय	नामे सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	करों के पश्चात निवल लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.12	0.42	(72)	वर्ष के दौरान 469760 रुपए के शेयर जारी किए जाने से अनुपात में कमी आई है।
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	3.58	2.20	63	टर्नओवर में वृद्धि होने से अनुपात में वृद्धि हुई है
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सेवाओं का क्रय एवं अन्य व्यय	औसत व्यापार देय	0.49	0.18	169	टर्नओवर में वृद्धि होने से संबंधित वस्तु/सेवाओं में वृद्धि होने के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है।
निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	राजस्व	कार्यशील पूंजी	1.31	-0.54	(343)	अंतरिक्ष विभाग को परिसम्पतियों के अंतरण के कारण शेयर आंबटित किए जाने से चालू देयताएं कम हुई हैं जिससे कार्यशील पूंजी में सुधार दिखाई दे रहा है।
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	राजस्व	0.22	0.27	(20)	राजस्व के मार्जिन % में परिवर्तन होने से
नियोजित पूंजी पर लाभ	ब्याज एवं कर पूर्व आय	नियोजित	0.09	0.31	(69)	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों का आबंटन अंतरिक्ष विभाग से अंतरित परिसम्पतियों के प्रति करने से इक्विटी में वृद्धि हुई है, तथापि, लाभ में महत्वपूर्ण बढ़त नहीं हुई है।
निवेश पर लाभ	निवेशों से उत्पन्न आय	समय भारित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	